	राजस्थान राज–पत्र विशेषांक	RAJASTHAN GAZETTE Extraordinary
सत्यमेव जयते	साधिकार प्रकाशित	*Published by Authoriy*
	आश्विन 25,बुधवार, शाके 1934–अक्टूबर 17,2012 *Asvina 25, Wednesday, Saka 1934-October 17, 2012*	

भाग 4 (क)

राजस्थान विधान मंडल के अधिनियम।

विधि (विधायी प्रारूपण) विभाग

(ग्रुप–2)

अधिसूचना

जयपुर, अक्टूबर 17, 2012

संख्या प. 2 (40) विधि/2/2012– राजस्थान राज्य विधान–मण्डल का निम्नांकित अधिनियम, जिसे राज्यपाल महोदया की अनुमति दिनांक 14 अक्टूबर, 2012 को प्राप्त हुई, एतद्द्वारा सर्वसाधारण की सूचनार्थ प्रकाशित किया जाता है :–

राज ऋषि भर्तृहरि मत्स्य विश्वविद्यालय, अलवर अधिनियम 2012*

(2012 का अधिनियम संख्यांक 27)

[राज्यपाल महोदया की अनुमति दिनांक 14 अक्टूबर, 2012 को प्राप्त हुई]

राजस्थान राज्य में अलवर में राज ऋषि भर्तृहरि मत्स्य विश्वविद्यालय* स्थापित और निगमित करने के लिए और उससे संसक्त या आनुषंगिक विषयों के लिए उपबंध करने के लिए अधिनियम।

भारत गणराज्य के तिरसठवें वर्ष में राजस्थान विधान–मण्डल निम्नलिखित अधिनियम बनाता है :–

1. **संक्षिप्त नाम, प्रसार और प्रारम्भ :–** (1) इस अधिनियम का नाम राज ऋषि भर्तृहरि मत्स्य विश्वविद्यालय, अलवर अधिनियम,* 2012 है।
2. इसका प्रसार सम्पूर्ण राजस्थान राज्य में होगा।
3. यह 23 अगस्त, 2012 को और से प्रवृत्त हुआ समझा जायेगा।

---

*मत्स्य विश्वविद्यालय, अलवर (नाम परिवर्तन) अधिनियम 2014 के द्वारा मत्स्य विश्वविद्यालय, अलवर का नाम राज ऋषि भर्तृहरि मत्स्य विश्वविद्यालय, अलवर प्रतिस्थापित किया गया।

2. **परिभाषाऐं–** इस अधिनियम में, जब तक कि विषय या संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो–

(क) ''विद्या परिषद'' से विश्वविद्यालय की, धारा 21 के अधीन यथा–गठित, विद्या परिषद अभिप्रेत है;

(ख) ''संबद्व महाविद्यालय'' से ऐसी शिक्षा संस्था अभिप्रेत है जिसे विश्वविद्यालय के विशेषाधिकार दिये गये हों;

(ग) ''स्वायत्ता महाविद्यालय'' से ऐसी शिक्षा संस्था अभिप्रेत है जिसे इस अधिनियम के उपबंधों के अधीन इस रूप में घोषित किया जाये;

(घ) ''बोर्ड'' से धारा 19 के अधीन गठित विश्वविद्यालय का प्रबंध बोर्ड अभिप्रेत है;

(ड) ''नियंत्रक'' से धारा 14 के अधीन नियुक्त विश्वविद्यालय का वित्त अधिकारी अभिप्रेत है।

(च) ''घटक महाविद्यालय'' से विश्वविद्यालय द्वारा चलाया जाने वाला कोई महाविद्यालय अभिप्रेत है;

(छ) ''संकाय'' से विश्वविद्यालय का कोई संकाय अभिप्रेत है;

(ज) ''वित्त समिति'' से धारा 25 के अधीन गठित विश्वविद्यालय की वित्त समिति अभिप्रेत है;

(झ) ''विहित'' से परिनियमों, आर्डिनेन्सों या विनियमों द्वारा विहित अभिप्रेत है;

(ञ) ''प्राचार्य'' से किसी महाविद्यालय का मुख्य कार्यपालक अधिकारी या इस रूप में कार्य करने के लिए सम्यक् रूप से नियुक्त कोई व्यक्ति अभिप्रेत है;

(ट) ''कुल सचिव'' से धारा 13 के अधीन नियुक्त विश्वविद्यालय का कुलसचिव अभिप्रेत है;

(ठ) ''परिनियम'', ''ऑर्डिनेन्स'' और ''विनियम'' से धारा 42,44 और 46 के अधीन बनाये गये विश्वविद्यालय के क्रमशः परिनियम, ऑर्डिनेन्स और विनियम अभिप्रेत है।

(ड) ''विश्वविद्यालय का छात्र'' से सम्यक् रूप से संस्थित किसी उपाधि, डिप्लोमा या अन्य विद्या संबंधी उपाधि के लिए पाठ्यक्रमानुसार अध्ययन के लिए विश्वविद्यालय में नामांकित कोई व्यक्ति अभिप्रेत है;

(ढ) ''अध्यापक'' से शिक्षा देने या अनुसंधान संचालित करने और उसमें मार्गदर्शन करने के प्रयोजन के लिए विश्वविद्यालय द्वारा नियुक्त या मान्यता प्राप्त कोई व्यक्ति अभिप्रेत है और इसमें ऐसा व्यक्ति भी सम्मिलित है जिसे परिनियमों द्वारा अध्यापक होना घोषित किया जाये;

(ण) ''विश्वविद्यालय'' से धारा 3 के अधीन निगमित राज ऋषि भर्तृहरि मत्स्य विश्वविद्यालय, अलवर* अभिप्रेत है;

(त) ''विश्वविद्यालय विभाग'' से विश्वविद्यालय द्वारा चलाया जाने वाला कोई विभाग अभिप्रेत है।

3. **विश्वविद्यालय का निगमन**.– (1) विश्वविद्यालय के कुलाधिपति, प्रथम कुलपति, प्रबंध बोर्ड और विद्या परिषद के प्रथम सदस्य और ऐसे सभी व्यक्ति, जो इसके पश्चात ऐसे अधिकारी या सदस्य हो जाते हैं, जब तक वे ऐसा पद या सदस्यता धारण किये रहते हैं, ''राज ऋषि भर्तृहरि मत्स्य विश्वविद्यालय, अलवर''* के नाम से एक निगमित निकाय का गठन करेंगे और उसका शाश्वत उत्तराधिकार और एक सामान्य मुद्रा होगी और उस नाम से वह वाद ला सकेगा और उस पर वाद लाया जा सकेगा।

(2) विश्वविद्यालय, विश्वविद्यालय के प्रयोजनों के लिए जंगम और स्थावर दोनों प्रकार की सम्पत्ति अर्जित और धारित करने, ऐसी किसी भी जंगम या स्थावर सम्पत्ति को, जो उसमें निहित हो या उसके द्वारा अर्जित की जाये, पट्टाकृत, विक्रीत या अन्यथा अंतरित या व्ययनित करने और संविदा करने और इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए आवश्यक अन्य समस्त बातें करने के लिए सक्षम होगाः

परन्तु ऐसी सम्पत्ति का ऐसा कोई भी पट्टा, विक्रय, अंतरण या व्ययन राज्य सरकार के पूर्व अनुमोदन के बिना नहीं किया जायेगा।

(3) विश्वविद्यालय का मुख्यालय अलवर में होगा जो कुलपति का मुख्यालय होगा।

(4) विश्वविद्यालय द्वारा या इसके विरूद्व किये जाने वाले वादों और अन्य विधिक कार्यवाहियों में अभिवचन, कुलसचिव द्वारा हस्ताक्षरित और सत्यापित किये जायेंगे और ऐसे वादों और कार्यवाहियों में समस्त आदेशिकाएं कुल–सचिव को जारी और तामील की जायेंगी।

---

*मत्स्य विश्वविद्यालय, अलवर (नाम परिवर्तन) अधिनियम 2014 के द्वारा मत्स्य विश्वविद्यालय, अलवर का नाम राज ऋषि भर्तृहरि मत्स्य विश्वविद्यालय, अलवर प्रतिस्थापित किया गया।

4. **अधिकारिता–** (1) तत्समय प्रवृत्त किसी भी विधि में अंतर्विष्ट किसी बात के होने पर भी किन्तु राजस्थान विश्वविद्यालय अधिनियम, 1946, स्वामी केशवानन्द राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय बीकानेर अधिनियम, 1987 (1987 का अधिनियम सं. 39), जगद्गुरू रामानन्दाचार्य राजस्थान संस्कृत विश्वविद्यालय अधिनियम, 1998 (1998 का अधिनियम सं. 10), महाराणा प्रताप कृषि और प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय उदयपुर अधिनियम, 2000 (2000 का अधिनियम सं.8), डॉ0 सर्वपल्ली राधाकृष्णन राजस्थान आयुर्वेद विश्वविद्यालय जोधपुर अधिनियम, 2002 (2002 का अधिनियम सं. 15), राजस्थान स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय अधिनियम, 2005(2005 का अधिनियम सं. 1) और राजस्थान तकनीकी विश्वविद्यालय अधिनियम, 2006 (2006 का अधिनियम सं. 8) के उपबंधों के अध्यधीन रहते हुए, विश्वविद्यालय की अधिकारिता का प्रसार, समस्त घटक, संबद्ध या स्वायत्त महाविद्यालयों में और राजस्थान राज्य के भीतर के ऐसे अन्य महाविद्यालयों, संस्थानों, संस्थाओं और विभागों में भी होगा, जो राज्य सरकार द्वारा, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा विनिर्दिष्ट किये जायें।

(2) राज्य सरकार, लिखित आदेश द्वारा, –

(क) राज्य के भीतर स्थित किसी भी संस्थान, संस्था या महाविद्यालय से, विधि द्वारा निगमित किसी भी अन्य विश्वविद्यालय से अपनी संबद्धता या अपने विश्वविद्यालयजन्य विशेषाधिकार ऐसी तारीख से, जो आदेश में विर्निदिष्ट की जाये, ऐसी सीमा तक, जो आवश्यक और उचित समझी जाये, समाप्त कर लेने की अपेक्षा कर सकेगी, या

(ख) आदेश में विर्निदिष्ट किसी भी संस्थान, संस्था या महाविद्यालय को, जिसका राज्य सरकार की राय में स्वायत्त होना या उसे किसी भी अन्य विश्वविद्यालय या निकाय से सम्बद्ध किया जाना या विशेषाधिकारों का दिया जाना अपेक्षित है, इस अधिनियम द्वारा गठित विश्वविद्यालय की सम्बद्धता या उसके विशेषाधिकार दिये जाने से, ऐसी सीमा तक, जो आवश्यक और उचित समझी जाये, अपवर्जित कर सकेगी।

(3) राज्य सरकार, विश्वविद्यालय के परामर्श से, राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना द्वारा, विश्वविद्यालय की अधिकारिता में स्थित किसी भी सरकारी महाविद्यालय को विश्वविद्यालय का घटक महाविद्यालय होना प्रगणित कर सकेगी। ऐसे महाविद्यालय की भूमि, भवन, प्रयोगशालाऐं, उपस्कर, पुस्तकें और कोई भी अन्य सम्पत्तियां तब विश्वविद्यालय में निहित हो जायेंगी और ऐसे सरकारी महाविद्यालयों के प्रशासनिक नियंत्रण

के अधीन अधिकारी, अध्यापक और कर्मचारी, स्क्रीनिंग के माध्यम से उपयुक्त पाये जाने पर और ऐसे निबंधनों और शर्तों पर, जो अधिसूचना में अधिकथित की जायें, की पूर्ति करने पर विश्वविद्यालय के अधिकारी, अध्यापक या, यथास्थिति, कर्मचारी समझे जायेंगे।

5. **विश्वविद्यालय के उद्देश्य,–** विश्वविद्यालय, अन्य प्रयोजनों के साथ–साथ, निम्नलिखित प्रयोजनों के लिए स्थापित और निगमित किया हुआ समझा जायेगा–

(i) विद्या की विभिन्न शाखाओं में शिक्षा देने के लिए उपबंध करना; और

(ii) विद्या की समस्त शाखाओं में अनुसंधान को अग्रसर करना।

6. **विश्वविद्यालय में प्रवेश,–** (1) विश्वविद्यालय, इस अधिनियम और परिनियमों, आर्डिनेन्सों और विनियमों के उपबंधों के अध्यधीन रहते हुए, सभी व्यक्तियों के लिए खुला रहेगा।

(2) उप–धारा (1) में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, विश्वविद्यालय से–

(क) किसी भी पाठ्यक्रम में ऐसे किसी भी व्यक्ति को, जो विहित शैक्षणिक अर्हता या स्तर नहीं रखता है, प्रवेश दिया जाना; या

(ख) विश्वविद्यालय की नामावलियों पर ऐसे किसी छात्र को, जिसका शैक्षणिक अभिलेख कोई डिग्री, डिप्लोमा या अन्य विद्या संबंधी उपाधि प्रदान किये जाने के लिए न्यूनतम मानक स्तरमान से कम हो, बनाये रखना; या

(ग) ऐसे किसी व्यक्ति या किसी छात्र को, जसका आचरण विश्वविद्यालय के हितों या अनुशासन के या अन्य छात्रों और कर्मचारियों के अधिकारों और विशेषाधिकारों के प्रतिकूल हो, प्रवेश देना या बनाये रखना; या

(घ) किसी भी पाठ्यक्रम में, विहित से अधिक संख्या में छात्रों को प्रवेश दिया जाना, अपेक्षित नहीं होगा।

(3) उप–धारा (2) के उपबंधों के अध्यधीन रहते हुए, अनूसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और पिछडे वर्गों से संबंधित छात्रों और महिला छात्रों के लिए प्रवेश में स्थानों का आरक्षण तत्समय प्रवृत किसी

विधि के उपबंधों के अनुसार या राज्य सरकार की नीति के अनुसार किया जायेगा।

7. **विश्वविद्यालय की शक्तियां और कृत्य.–** विश्वविद्यालय की निम्नलिखित शक्तियां और कृत्य होंगे, अर्थात् :–

(क) विद्या की ऐसी विभिन्न शाखाओं में, जिन्हें विश्वविद्यालय उचित समझे, शिक्षा देने की व्यवस्था करना;

(ख) ज्ञान के अनुसंधान और अभिवर्धन और अनुसंधान और ज्ञान के निष्कर्षों के प्रसार के लिए उपबन्ध करना;

(ग) उपाधियां, डिप्लोमे और अन्य विद्या संबंधी उपाधियां संस्थित और प्रदान करना;

(घ) सम्मानिक उपाधियां या अन्य उपाधियां प्रदान करना;

(ङ) विश्वविद्यालय द्वारा नहीं चलाये जाने वाले महाविद्यालयों, संस्थाओं और संस्थानों को विश्वविद्यालय के विशेषाधिकार देना और इन समस्त या इनमें से किन्हीं भी विशेषाधिकार देना और इन समस्त या इनमें से किन्हीं भी विशेषाधिकारों को वापस लेना;

(च) किसी महाविद्यालय, संस्था या यथास्थिति, विभाग को ऐसी शर्तों के अध्यधीन रहते हुए, जो इस अधिनियम में अधिकथित की जायें या जो परिनियमों द्वारा विहित की जायें, स्वायत्त प्रास्थिति प्रदान करना और स्वायत्तता वापस लेना;

(छ) अन्य विश्वविद्यालयों और प्राधिकारियों के साथ, ऐसी रीति से और ऐसे प्रयोजन के लिए सहयोग करना जो विश्वविद्यालय अवधारित करें;

(ज) विश्वविद्यालय द्वारा अपेक्षित अध्यापन, अनुसंधान और अन्य पदों को संस्थित करना और उन पर नियुक्तियां करना;

(झ) प्रशासनिक, लिपिकवर्गीय और अन्य आवश्यक पदों का सृजन करना और उन पर नियुक्तियां करना;

(ण) अध्येतावृतियां (जिनमें यात्रा अध्येतावृत्तियां भी सम्मिलित हैं), छात्रवृत्तियां और पुरस्कार संस्थित और प्रदान करना;

(ट) विश्वविद्यालय के छात्रों के लिए निवास–स्थान की व्यवस्था करना और उसे संधारित करना;

(ठ) ऐसी फीस और अन्य प्रभारों की मांग करना और प्राप्त करना, जो विहित किये जायें;

(ड) छात्रों के निवास–स्थान का पर्यवेक्षण और नियंत्रण करना और विश्वविद्यालय के छात्रों के अनुशासन का विनियमन करना और उनके स्वास्थ्य और कल्याण की अभिवृद्धि करने के लिए प्रबंध करना; और

(ढ) ऐसे समस्त कार्य और बातें करना चाहे वे पूर्वोक्त शक्तियों की आनुषंगिक हों या नहीं, जो विश्वविद्यालय के उद्देश्यों को अग्रसर करने के लिए अपेक्षित हों।

8. **कुलाधिपति.–** (1) राजस्थान राज्य का/की राज्यपाल अपने पद के आधार पर विश्वविद्यालय का/की कुलाधिपति होगा या होगी।

(2) कुलाधिपति विश्वविद्यालय का प्रधान होगा और उपस्थित होने पर, विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह की अध्यक्षता करेगा और उपाधियां, डिप्लोमे या अन्य विद्या संबंधी उपाधियां उन्हें प्राप्त करने के हकदार व्यक्तियों को प्रदान करेगा।

(3) कुलाधिपति स्वप्रेरणा से या आवेदन पर, किसी भी कार्यवाही के संबंध में, ऐसी कार्यवाही की नियमित्ता या उसमें किये गये किसी भी विनिश्चय या आदेश के सही होने, उसकी वैधता या औचित्य के विषय में अपना समाधान करने के लिए विश्वविद्यालय के किसी भी अधिकारी या प्राधिकारी का अभिलेख मंगवा सकेगा/सकेगी और उसका परीक्षण कर सकेगा/सकेगी; और यदि किसी भी मामले में कुलाधिपति को यह प्रतीत होता है कि किसी ऐसे विनिश्चय या आदेश को उपांतरित, बातिल किया जाना, उलटा जाना, या पुनर्विचार के लिए वापस भेजा जाना चाहिए तो वह तदनुसार आदेश कर सकेगा/सकेगी:

परन्तु इस धारा के अधीन शक्तियों का प्रयोग करने के लिए कुलाधिपति को प्रत्येक आवेदन उस तारीख से तीन मास के भीतर–भीतर किया जायेगा जिसको वह कार्यवाही, विनिश्चय या आदेश जिससे कि आवेदन संबंधित है, आवेदक को संसूचित किया गया था:

परन्तु यह और कि किसी व्यक्ति पर प्रतिकूल प्रभाव डालने वाला कोई भी आदेश तब तक पारित नहीं किया जायेगा जब तक कि ऐसे व्यक्ति को अपना अभ्यावेदन प्रस्तुत करने का अवसर न दे दिया गया हो।

(4) कुलाधिपति ऐसी अन्य शक्तियों का प्रयोग और ऐसे अन्य कृत्यों का पालन करेगा/करेगी जो इस अधिनियम के अधीन या द्वारा उसे प्रदत्त या समनुदेशित किये जायें।

9. **निरीक्षण.**– (1) कुलाधिपति को, ऐसे व्यक्ति या व्यक्तियों द्वारा, जैसा वह निर्देश दें,–

(क) विश्वविद्यालय, इसके भवन, प्रयोगशालाओं, पुस्तकालयों, संग्रहालयों, कार्यशालाओं और उपस्करों का; या

(ख) विश्वविद्यालय द्वारा संधारित किसी महाविद्यालय, संस्था या छात्रावास का; या

(ग) विश्वविद्यालय द्वारा संचालित या किये जा रहे अध्यापन और अन्य कार्य का; या

(घ) विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित किसी भी परीक्षा के संचालन का, निरीक्षण करवाने का अधिकार होगा।

(2) कुलाधिपति को विश्वविद्यालय से संबंधित किसी भी मामले के संबंध में ऐसे व्यक्ति या व्यक्तिओं से, जैसा वह निर्देश दे, जांच करवाने का भी अधिकार होगा।

(3) कुलाधिपति, प्रत्येक मामले में किये जाने वाले निरीक्षण या जांच करवाने के अपने आशय के बारे में विश्वविद्यालय को सूचना देगा/देगी और विश्वविद्यालय ऐसे निरीक्षण या जांच में प्रतिनिधित्व किये जाने का हकदार होगा।

(4) कुलाधिपति, विश्वविद्यालय को ऐसी जांच या निरीक्षण के परिणाम के संबंध में अपने विचारों से संसूचित करेगा/करेगी और उन पर विश्वविद्यालय की राय अभिनिश्चित करने के पश्चात की जाने वाली कार्रवाई के बारे में विश्वविद्यालय को सलाह दे सकेगा/सकेगा और ऐसी कार्रवाई करने के लिए समय सीमा नियत कर सकेगा/सकेगी।

(5) विश्वविद्यालय, इस प्रकार नियत समय सीमा के भीतर, कुलाधिपति द्वारा दी गयी सलाह पर की गयी या किये जाने के लिए प्रस्तावित कार्रवाई के बारे में कुलाधिपति को रिपोर्ट देगा।

(6) यदि विश्वविद्यालय निर्धारित समय सीमा के भीतर कार्रवाई नहीं करता है या यदि कुलाधिपति की राय में, विश्वविद्यालय द्वारा की गयी कार्रवाई समाधानप्रद नहीं है तो कुलाधिपति विश्वविद्यालय द्वारा दिये

गये किसी स्पष्टीकरण पर या किये गये अभ्यावेदन पर विचार करने के पश्चात् ऐसे निदेश जारी कर सकेगा/सकेगी जैसा वह उचित समझे और विश्वविद्यालय ऐसे निदेशों का पालन करेगा।

(7) यदि विश्वविद्यालय, उप–धारा (6) के अनुसार जारी किये गये निदेशों का, ऐसी नियत समय सीमा के भीतर, जो इस निमित्त कुलाधिपति द्वारा नियत की जाये, पालन नहीं करता है तो कुलाधिपति को ऐसे निर्देशों का क्रियान्वयन कराने के लिए किसी व्यक्ति या निकाय को नियुक्त करने की और ऐसे आदेश करने की शक्ति होगी जो उसके व्ययों के लिए आवश्यक हों।

10. **विश्वविद्यालय के अधिकारी और प्राधिकारी.–** विश्वविद्यालय के अधिकारी और प्राधिकारी निम्नलिखित होंगे, अर्थात :–

(क) विश्वविद्यालय के अधिकारी –

(i) कुलपति ;

(ii) कुलसचिव ;

(iii) नियंत्रक ;

(iv) संपदा अधिकारी ;

(v) छात्र कल्याण संकायाध्यक्ष ;

(vi) संकायों के संकायाध्यक्ष ; और

(vii) विश्वविद्यालय की सेवा में के ऐसे अन्य व्यक्ति जिन्हें परिनियमों द्वारा विश्वविद्यालय के अधिकारी होना घोषित किया जाये।

(ख) विश्वविद्यालय के प्राधिकारी –

(i) प्रबंध बोर्ड ;

(ii) विद्या परिषद ;

(iii) संकाय ;

(iv) अध्ययन बोर्ड ;

(v) वित्त समिति ; और

(vi) ऐसे अन्य प्राधिकारी जिन्हें परिनियमों द्वारा विश्वविद्यालय के प्राधिकारी होना घोषित किया जाये।

* 11. **कुलपति.–** (1)कुलपति विश्वविद्यालय का पूर्णकालिक वैतनिक अधिकारी होगा।

*राज ऋषि भर्तृहरि मत्स्य विश्वविद्यालय, अलवर (संशोधन) अधिनियम, 2017 द्वारा प्रतिस्थापित किया गया।

*(2) कोई भी व्यक्ति, कुलपति के रूप में नियुक्त किये जाने के लिए तब तक पात्र नहीं होगा जब तक की वह किसी विश्वविद्यालय या महाविद्यालय में आचार्य के रूप में न्यूनतम दस वर्ष का अनुभव रखने वाला या किसी प्रतिष्ठित शोध और/या शैक्षणिक प्रशासन संगठन में किसी समकक्ष पद पर दस वर्ष का अनुभव रखने वाला और सक्षमता, सत्यनिष्ठा, नैतिक आचार और संस्थानिक प्रतिबद्धता के उच्चतम स्तर वाला कोई प्रख्यात शिक्षाविद् न हो।

(3) कुलपति, निम्नलिखित सदस्यों से मिलकर बनी खोजबीन समिति द्वारा सिफारिश किये गये पैनल में सम्मिलित व्यक्तियों में से, राज्य सरकार के परामर्श से, कुलाधिपति द्वारा नियुक्त किया जायेगा–

(क) बोर्ड द्वारा नामनिर्देशित एक व्यक्ति;
(ख) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के अध्यक्ष द्वारा नामनिर्देशित एक व्यक्ति;
(ग) कुलाधिपति द्वारा नामनिर्देशित एक व्यक्ति; और
(घ) राज्य सरकार द्वारा नामनिर्देशित एक व्यक्ति, और

कुलाधिपति, इनमें से किसी एक व्यक्ति को समिति का अध्यक्ष नियुक्त करेगा।

(4) विश्वविद्यालय और उसके महाविद्यालयों से असंबद्ध उच्चतर शिक्षा क्षेत्र का कोई विख्यात व्यक्ति ही खोजबीन समिति के सदस्य के रूप में नामनिर्देशित किये जाने के लिये पात्र होगा।

(5) खोजबीन समिति कुलपति के रूप में नियुक्त किये जाने के लिए कम से कम तीन व्यक्तियों का और अधिकतम पांच व्यक्तियों का एक पैनल तैयार करेगी और सिफारिश करेगी।

(6) कुलपति के चयन के प्रयोजन के लिए, खोजबीन समिति किसी लोक सूचना के माध्यम से पात्र व्यक्तियों से आवेदन आमंत्रित करेगी और कुलपति के रूप में नियुक्त किये जाने वाले व्यक्तियों के नामों पर विचार करते समय, खोजबीन समिति, शैक्षणिक उत्कृष्टता, देश में उच्चतर शिक्षा प्रणाली में प्रदर्शन, और शैक्षणिक तथा प्रशासनिक शासन में पर्याप्त अनुभव को, उचित महत्व देगी और इसके निष्कर्षों को लेखबद्ध करेगी और उन्हें कुलाधिपति को प्रस्तुत किये जाने वाले पैनल के साथ रखेगी।

---

*विश्वविद्यालयों की विधियां (संशोधन) अधिनियम 2019 द्वारा प्रतिस्थापित किया गया।

(7) कुलपति की पदावधि उस तारिख से, जिसको वह अपना पद ग्रहण करता है, तीन वर्ष या सत्तर वर्ष की आयु प्राप्त कर लेने तक, इनमें से जो भी पहले हो, होगीः

परन्तु वही व्यक्ति दूसरी अवधि के लिये पुनर्नियुक्ति का पात्र होगा।

(8) कुलपति, ऐसा वेतन और भत्ते प्राप्त करेगा जो राज्य सरकार द्वारा अवधारित किये जायें। इसके अतिरिक्त, वह विश्वविद्यालय द्वारा संधारित निःशुल्क सुसज्जित निवास और ऐसी अन्य परिलब्धियों का हकदार होगा जो विहित की जायें।

(9) जब कुलपति के पद की कोई स्थाई रिक्ति उसकी मृत्यु, त्यागपत्र, हटाये जाने या उसकी पदावधि समाप्त हो जाने के कारण हो जाये तो वह रिक्ति कुलाधिपति द्वारा, उप–धारा (3) के अनुसार भरी जायेगी और जब तक वह इस प्रकार नहीं भरी जाती है तब तक उसके द्वारा, उप–धारा (10) के अधीन और कामचलाऊ व्यवस्था की जायेगी।

(10) जब कुलपति के पद की कोई अस्थायी रिक्ति छुट्टी, निलंबन के कारण या अन्यथा हो जाये, या जब उप–धारा (9) के अधीन कोई कामचलाऊ व्यवस्था आवश्यक हो तब कुल–सचिव मामले की रिपोर्ट तुरंत कुलाधिपति को करेगा जो, राज्य सरकार की सलाह से कुलपति पद के कृत्यों के, राज्य–विश्वविद्यालय के किसी भी अन्य कुलपति द्वारा, निर्वहन के लिए इंतजाम करेगा।

(11) कुलपति किसी भी समय पद का त्याग, अपना त्यागपत्र ऐसी तारिख से, जिसको वह पदभार से मुक्त होने का इच्छुक हो, कम से कम साठ दिवस पूर्व कुलाधिपति को प्रस्तुत करके, कर सकेगा।

(12) ऐसा त्यागपत्र ऐसी तारीख से प्रभावी होगा जो कुलाधिपति द्वारा अवधारित की जाये और जिसकी सूचना कुलपति को दी जाये।

(13) जहां, कुलपति के रूप में नियुक्त कोई व्यक्ति, ऐसी नियुक्ति के पूर्व किसी भी अन्य महाविद्यालय, संस्था या विश्वविद्यालय में नियोजित था, वहां वह उस भविष्य निधि में अंशदान करना जारी रख सकेगा जिसका वह ऐसे नियोजन में सदस्य था और विश्वविद्यालय उस भविष्य निधि में ऐसे व्यक्ति के लेखे में अंशदान करेगा।

(14) जहां कुलपति, उसके पूर्ववर्ती नियोजन में, किसी बीमा या पेंशन स्कीम का सदस्य रहा हो, वहां विश्वविद्यालय, ऐसी स्कीम में आवश्यक अंशदान करेगा।

(15) कुलपति, ऐसी दरों पर जो बोर्ड द्वारा नियत की जायें, यात्रा और दैनिक भत्ते का हकदार होगा।

(16) कुलपति, निम्नानुसार छुट्टी का हकदार होगाः–

(क) प्रत्येक ग्यारह दिवस की वास्तविक सेवा के लिये एक दिवस की दर से पूर्ण वेतन पर छुट्टी; और

(ख) सेवा के प्रत्येक पूर्ण वर्ष के लिये बीस दिवस की दर से अर्धवैतनिक छुट्टीः

परन्तु चिकित्सा प्रमाणपत्र प्रस्तुत करने पर अर्धवैतनिक छुट्टी को पूर्णवैतनिक छुट्टी में रूपान्तरित किया जा सकेगा।

(17) कुलपति विश्वविद्यालय का प्रधान शैक्षणिक, प्रशासनिक और कार्यपालक अधिकारी होगा और विश्वविद्यालय के कार्यकलाप का समग्र पर्यवेक्षण और नियंत्रण करेगा। उसे ऐसी समस्त शक्तियां होंगी जो इस अधिनियम और परिनियमों के उपबंधों के सही–सही अनुपालन के लिए आवश्यक हों।

(18) कुलपति को, जहां तुरन्त कार्यवाई की जानी अपेक्षित हो, ऐसा आदेश करने की शक्ति होगी जिससे ऐसी किसी भी शक्ति का प्रयोग या ऐसे किसी भी कृत्य का पालन हो जिसका प्रयोग या पालन किसी भी प्राधिकरण द्वारा इस अधिनियम या परिनियमों के अधीन किया जायेः

परन्तु ऐसी कार्यवाई की रिपोर्ट ऐसे प्राधिकरण को अनुमोदन के लिए की जायेगी जो उस विषय पर सामान्य अनुक्रम में कार्यवाही करताः

परन्तु यह और कि यदि वह कार्यवाई, जिसकी कि इस प्रकार रिपोर्ट की गयी है, बोर्ड से इतर ऐसे प्राधिकरण द्वारा अनुमोदित न की जाये तो वह विषय बोर्ड को निर्देशित किया जायेगा जिसका विनिश्चय अंतिम होगा और बोर्ड के ही ऐसा प्राधिकरण होने की दशा में वह विषय कुलाधिपति को निर्देशित किया जायेगा जिसका विनिश्चय अंतिम होगा।

(19) कुलपति, इस बात का समाधान हो जाने पर कि किसी भी प्राधिकरण द्वारा की गयी कोई भी कार्रवाई या आदेश विश्वविद्यालय के हित में नहीं है या ऐसे प्राधिकरण की शक्तियों के बाहर है, प्राधिकरण से उसकी कार्यवाई या आदेश का पुनर्विलोकन

करने की अपेक्षा कर सकेगा। यदि प्राधिकरण उस तारीख से, जिसको कि कुलपति ने ऐसी अपेक्षा की है, साठ दिवस के भीतर–भीतर अपनी कार्रवाई या आदेश का पुर्नविलोकन करने से इन्कार कर देता है या इसमें असफल रहता है तो वह विषय अंतिम विनिश्चय के लिए बोर्ड या, यथास्थिति, कुलाधिपति को निर्देशित किया जा सकेगा।

***11(क) कुलपति का हटाया जाना.–** (1) इस अधिनियम में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, राज्य सरकार की रिपोर्ट पर या अन्यथा यदि किसी भी समय कुलाधिपति की राय में, कुलपति इस अधिनियम के उपबंधों का कार्यान्वयन करने में जानबूझकर लोप या इंकार करता है या उसमें निहित शक्तियों का दुरूपयोग करता है, या यदि कुलाधिपति को अन्यथा यह प्रतीत होता है कि कुलपति का पद पर बने रहना विश्वविद्यालय के हित के लिए हानिकर है तो कुलाधिपति, राज्य सरकार के परामर्श से ऐसी जांच करने के पश्चात् जो उचित समझे, आदेश द्वारा कुलपति को हटा सकेगाः

परन्तु कुलाधिपति, राज्य सरकार के परामर्श से ऐसा आदेश करने से पूर्व जांच लम्बित रहने के दौरान कुलपति को किसी भी समय निलंबित कर सकेगाः

परन्तु यह और कि कुलाधिपति द्वारा कोई भी आदेश तब तक नहीं किया जायेगा जब तक कि कुलपति को उसके विरूद्ध की जाने वाली प्रस्तावित कार्रवाई के विरूद्ध हेतुक दर्शित करने का युक्तियुक्त अवसर प्रदान नहीं कर दिया गया हो।

(2) उप–धारा (1) में निर्दिष्ट किसी भी जांच के लंबित रहने के दौरान या उसको ध्यान में रखते हुए कुलाधिपति राज्य सरकार के परामर्श से यह आदेश दे सकेगा कि अगले आदेश तक–

(क) ऐसा कुलपति, कुलपति के पद के कृत्यों का पालन करने से विरत रहेगा, किन्तु वह उन परिलब्धियों को प्राप्त करता रहेगा जिनका वह अन्यथा हकदार था;

(ख) कुलपति के पद के कृत्यों का पालन आदेश में विनिर्दिष्ट व्यक्ति द्वारा किया जायेगा।

*विश्वविद्यालयों की विधियां (संशोधन) अधिनियम 2019 के द्वारा नई धारा प्रतिस्थापित की गई।

12. कुलपति की शक्तियां और कर्तव्य.–

(1) कुलपति विश्वविद्यालय का मुख्य कार्यपालक और शैक्षणिक अधिकारी होगा और कुलाधिपति की अनुपस्थिति में, विश्वविद्यालय के दीक्षान्त समारोहों की अध्यक्षता करेगा।

(2) कुलपति बोर्ड और विद्या परिषद का पदेन अध्यक्ष होगा।

(3) कुलपति, विश्वविद्यालय से संबंधित मामले बोर्ड को उसके विचार–विमर्श और विचार के लिए प्रस्तुत करने के लिए उत्तरदायी होगा/होगी। उसे बोर्ड और विद्या परिषद की बैठकें बुलाने की शक्ति होगी।

(4) कुलपति का विश्वविद्यालय के कार्यकलापों पर सामान्य नियंत्रण होगा और वह विश्वविद्यालय में सम्यक् अनुशासन बनाये रखने के लिए उत्तरदायी होगा।

(5) कुलपति इस अधिनियम और परिनियमों, ऑर्डिनेन्सों और विनियमों के उपबंधों का निष्ठापूर्वक पालन सुनिश्चित करेगा और उसे ऐसी समस्त शक्तियां प्राप्त होंगी जो उक्त प्रयोजनों के लिए आवश्यक हों।

(6) किसी आपात में, जिसमें कुलपति की राय में तुरन्त कार्रवाई करना अपेक्षित हो, कुलपति ऐसी कार्रवाई करेगा जो वह आवश्यक समझे और की गयी कार्रवाई की रिपोर्ट, शीघ्रतम अवसर पर, ऐसे अधिकारी, प्राधिकारी या अन्य निकाय को करेगा जो उस मामले में सामान्य अनुक्रम में कार्रवाई करता।

(7) जहां कुलपति द्वारा उप–धारा (6) के अधीन की गयी किसी कार्रवाई से विश्वविद्यालय की सेवा में के किसी भी व्यक्ति पर उसके लिए अलाभकारी प्रभाव पडता है, वहां ऐसा व्यक्ति, ऐसी तारीख से, जिसको उसे की गयी कार्रवाई से संसूचित किया जाये, तीस दिन के भीतर–भीतर बोर्ड को अपील कर सकेगा।

(8) पूर्वोक्त के अध्यधीन रहते हुए, कुलपति, विश्वविद्यालय के अधिकारियों, अध्यापकों और अन्य कर्मचारियों की नियुक्ति, निलम्बन और पदच्युति संबंधी बोर्ड के आदेशों को क्रियान्वित करेगा।

(9) कुलपति, अध्यापन, अनुसंधान और अन्य कार्य के निकट समन्वय और एकीकरण के लिए उत्तरदायी होगा और ऐसी अन्य शक्तियों का प्रयोग करेगा जो विहित की जायें।

13. **कुल–सचिव.–** (1) कुल–सचिव विश्वविद्यालय का मुख्य प्रशासनिक अधिकारी होगा। वह सीधे ही कुलपति के अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण के अधीन कार्य करेगा।

(2) इस अधिनियम या तत्समय प्रवृत्त किसी भी अन्य विधि में अन्तर्विष्ट किसी बात के होने पर भी, कुल–सचिव राज्य सरकार द्वारा, राजस्थान प्रशासनिक सेवा में के अधिकारियों (जो चयनित वेतनमान से निम्न के न हों) में से प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्त किया जायेगा/जायेगी।

(3) कुल–सचिव बोर्ड, विद्या परिषद और ऐसे किसी भी प्राधिकारी का पदेन सदस्य–सचिव होगा जिसे परिनियमों द्वारा विश्वविद्यालय का प्राधिकारी होना घोषित किया जाये।

(4) कुल–सचिव का यह कर्तव्य होगा कि वह –

(क) विश्वविद्यालय के अभिलेख, सामान्य मुद्रा और ऐसी अन्य सम्पत्तियों का अभिरक्षक होगा/होगी जिन्हें बोर्ड उसके भारसाधन में सुपुर्द करें ; और

(ख) बोर्ड, विद्या परिषद, संकाय, अध्ययन बोर्डों और विश्वविद्यालय के प्राधिकारियों द्वारा नियुक्त किसी भी समिति की बैठक बुलाने के लिए समस्त नोटिस जारी करेगा;

(5) (i) जहां बोर्ड की कोई कार्यवाही या संकल्प, या कुलपति का कोई ओदेश इस अधिनियम और तदधीन बनाये गये परिनियमों के उपबंधों से असंगत हो, वहां कुल सचिव का यह कर्तव्य होगा कि वह सुसंगत उपबंधों का उल्लेख करते हुए बोर्ड या कुलपति को सलाह देगा/देगी और बोर्ड की बैठक की कार्यवाहियों में या कुलपति के आदेश पर इस तथ्य को अभिलिखित करेगा/करेगी कि उसने ऐसी सलाह दे दी थी और तदुपरांत ऐसी कार्यवाहियों, संकल्प या, यथास्थिति, आदेश पर विसम्मति का टिप्पण प्रस्तुत करेगा/करेगी और ऐसी कार्यवाहियां चलाने के सात दिवस के भीतर–

भीतर कुलाधिपति या उसके द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत किसी अधिकारी को मामले की संसूचना सुनिश्चित करेगा/करेगी।

(ii) उप–खण्ड (i) के अधीन रिपोर्ट किये गये विसम्मति के टिप्पण के परीक्षण के पश्चात, कुलाधिपति या उसके द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत अधिकारी ऐसा अंतरिम या स्थायी आदेश, जो वह ठीक समझे, दे सकेगा/सकेगी, जो विश्वविद्यालय के लिए आबद्धकर होगा :

परन्तु यदि विसम्मति के टिप्पण की प्राप्ति की तारीख से तीस दिवस की कलावधि के भीतर–भीतर ऐसा कोई अंतरिम या स्थायी आदेश जारी नहीं किया जाये तो बोर्ड या, यथास्थिति, कुलपति, कार्यवाहियों, या संकल्प या, यथास्थिति, आदेश पर ऐसे कार्यवाही कर सकेगा/सकेगी मानो कि विसम्मति का टिप्पण प्रस्तुत नहीं किया गया था।

(6) कुल–सचिव धारा 41 के उपबंधों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए उत्तरदायी होगा।

(7) कुल–सचिव ऐसी शक्तियों का प्रयोग और ऐसे अन्य कृत्यों का पालन और ऐसे अन्य कर्तव्यों का निर्वहन करेगा/करेगी जो विहित किये जायें या जिनकी कुलपति या बोर्ड द्वारा उससे समय–समय पर अपेक्षा की जाये।

14. **नियंत्रक.–** (1) नियंत्रक, विश्वविद्यालय का मुख्य वित्त, लेखा और संपरीक्षा अधिकारी होगा/होगी। वह सीधे ही कुलपति के नियंत्रण के अधीन कार्य करेगा/करेगी।

(2) इस अधिनियम या, तत्समय प्रवृत्त किसी भी अन्य विधि में अन्तर्विष्ट किसी बात के होने पर भी नियंत्रक राज्य सरकार द्वारा, राजस्थान लेखा सेवा के अधिकारियों (चयनित वेतनमान से अनिम्न) में से प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्त किया जायेगा।

(3) नियंत्रक वित्त समिति का पदेन सदस्य–सचिव होगा।

(4) नियंत्रक.–

(क) विश्वविद्यालय की निधियों का सामान्य पर्यवेक्षण करेगा और विश्वविद्यालय को उसकी वित्तीय नीति के संबंध में सलाह देगा ;

(ख) न्यास और विन्यास सम्पत्ति को सम्मिलित करते हुए विश्वविद्यालय की सम्मत्ति और विनिधानों का विता समिति और बोर्ड के विनिश्चयों के अनुसार प्रबंध करेगा/करेगी ; और

(ग) ऐसी अन्य शक्तियों और ऐसे अन्य वित्तीय कृत्यों का पालन करेगा/करेगी जो उसे बोर्ड द्वारा समनुदेशित किये जायें या जो विहित किये जायें :

परन्तु नियंत्रक, बोर्ड के पूर्व अनुमोदन के सिवाय, ऐसी रकम से अधिक, जो विहित की जाये, कोई व्यय उपगत या कोई भी विनिधान नहीं करेगा/करेगी।

(5) बोर्ड के नियंत्रण के अध्यधीन रहते हुए, नियंत्रक, –

(क) यह सुनिश्चित करेगा कि एक वर्ष के लिए आवर्ती और अनावर्ती व्यय बोर्ड द्वारा नियत सीमा से अधिक न हों, और सभी धन उन प्रयोजनों के लिए व्यय किये जायें जिनके लिए वे मंजूर या आवंटित किये गये हैं ;

(ख) विश्वविद्यालय के वार्षिक लेखाओं, वित्तीय प्राक्कलनों और बजट को तैयार करने और उनको वित्त समिति और बोर्ड को प्रस्तुत करने के लिए उत्तरदायी होगा ;

(ग) नकद और बैंक अतिशेषों और विनिधानों पर बराबर नजर रखेगा ;

(घ) राजस्व के संग्रहण की प्रगति पर नजर रखेगा और संग्रहण की लागू की गयी पद्धतियों पर सलाह देगा ;

(ड) यह सुनिश्चित करेगा कि भवनों, भूमि, फर्नीचर और उपस्करों के रजिस्टर अद्यतन रखे जाते हैं, और विश्वविद्यालय द्वारा संधारित समस्त कार्यालयों, प्रयोगशालाओं, महाविद्यालयों और संस्थाओं में उपस्करों और अन्य खपने वाली सामग्री के सम्बन्ध में स्टॉक की जांच की जाती है ;

(च) यह सुनिश्चित करेगा कि विश्वविद्यालय द्वारा विनिधान से ऐसा कोई भी व्यय उपगत नहीं किया जाये जो बजट में प्राधिकृत नहीं किया गया हो और अनधिकृत व्यय या अन्य वित्तीय अनियमित्ता को कुलपति के ध्यान में लायेगा/लायेगी और दोषी व्यक्तियों के विरूद्व की जाने वाली समुचित कार्रवाई का सुझाव देगा/देगी ;

(छ) ऐसे किसी व्यय को नामंजूर करेगा जो किसी भी परिनियम के निबन्धनों का उल्लंघन करता हो या जिसके लिए परिनियम द्वारा उपबंध किया जाना अपेक्षित है किन्तु नहीं किया गया है ; और

(ज) विश्वविद्यालय द्वारा संधारित किसी कार्यालय, प्रयोगशाला, महाविद्यालय या संस्था से ऐसी सूचना या विवरणियां प्राप्त करेगा या करेगी जिन्हें वह अपनी शक्तियों के प्रयोग, कृत्यों के पालन या कर्तव्यों के निर्वहन के लिए आवश्यक समझे।

(झ) धारा 33,34 और 35 के उपबंधों का अनुपालन सुनिश्चित करेगा।

15. **सम्पदा अधिकारी और छात्र कल्याण संकायाध्यक्ष.** – (1) बोर्ड निम्नलिखित किसी भी एक या अधिक अधिकारियों को नियुक्त कर सकेगा, अर्थात् :–

(क) सम्पदा अधिकारी ; और

(ख) छात्र कल्याण संकायाध्यक्ष।

(2) सम्पदा अधिकारी विश्वविद्यालय के समस्त भवनों, लानों, उद्यानों और अन्य स्थावर सम्पत्ति का भारसाधक होगा।

(3) छात्र कल्याण संकायाध्यक्ष के कर्तव्य निम्नलिखित होंगे :–

(क) छात्रों के आवासन का प्रबंध करना ;

(ख) छात्रों को परामर्श देने के लिए कार्यक्रम निदिष्ट करना ;

(ग) कुलपति द्वारा अनुमोदित योजनाओं के अनुसार छात्रों के नियोजन के लिए व्यवस्था करना ;

(घ) छात्रों के पाठ्येतर क्रियाकलापों का पर्यवेक्षण करना ;

(ड) विश्वविद्यालय के स्नातकों को नौकरी दिलाने में सहायता करना ; और

(च) विश्वविद्यालय के पूर्व छात्रों को संगठित करना और उनसे सम्पक्र बनाये रखना।

16. **संकायों के संकायाध्यक्ष और उनके कृत्य.–** (1) प्रत्येक संकाय का एक संकायाध्यक्ष होगा।

(2) संकायों के संकायाध्यक्ष कुलपति द्वारा ऐसी रीति से नियुक्त किये जायेंगे जे विहित की जाये।

(3) संकायाध्यक्ष ऐसे कृत्यों का पालन करेंगे जो परिनियमों द्वारा विहित किये जायें।

17. **अन्य अधिकारी और कर्मचारी.–** धारा 10 के खण्ड (क) में वर्णित अन्य अधिकारियों की और विश्वविद्यालय के कर्मचारियों की नियुक्ति की रीति और उनके कृत्य ऐसे होंगे जो इस अधिनियम में उपबंधित किये जायें या परिनियमों, आर्डिनेन्सों और विनियमों द्वारा विहित किये जायें।

18. **अधिकारियों और कर्मचारियों का पारिश्रमिक.–** विश्वविद्यालय के किसी भी अधिकारी या कर्मचारी को विश्वविद्यालय में किसी भी कार्य के लिए, परिनियमों में जैसा उपबंधित है उसके सिवाय, कोई भी पारिश्रमिक न तो दिया जायेगा और न वह उसे स्वीकार करेगा।

19. **प्रबंध बोर्ड का गठन और संरचना.–** (1) प्रबंध बोर्ड विश्वविद्यालय का उच्चतम कार्यपालक निकाय होगा और उसमें निम्नलिखित सदस्य होंगे, अर्थात –

(I) विश्वविद्यालय का कुलपति – अध्यक्ष ;

(II) पदेन सदस्य –

(i) प्रमुख शासन सचिव, वित्त विभाग, राजस्थान ;

(ii) प्रमुख शासन सचिव, उच्च शिक्षा विभाग, राजस्थान ;

(iii) निदेशक, महाविद्यालय शिक्षा, राजस्थान ; और

(iv) विश्वविद्यालय का कुल–सचिव, सदस्य–सचिव।

स्पष्टीकरण.– (i) से (ii) में उल्लेखित पदेन सदस्यों में उनके संबंधित नामनिर्देशिती भी सम्मिलित होंगे जो शासन उप सचिव, राजस्थान की रैंक से नीचे के नहीं होंगे।

(III) नामनिर्देशित सदस्य –

(i) कुलपति द्वारा संकायाध्यक्षों में से एक वर्ष के लिए नामनिर्देशित दो व्यक्ति ;

(ii) कुलपति द्वारा एक वर्ष के लिए नामनिर्देशित दो विश्वविद्यालय आचार्य;

(iii) कुलाधिपति द्वारा तीन वर्ष के लिए नामनिर्देशित किये जाने वाले दो विख्यात शिक्षाविद्;

(iv) राज्य सरकार द्वारा एक वर्ष के नामनिर्देशित किये जाने वाले, संबद्ध विश्वविद्यालयों के दो प्राचार्य, जिनमें से एक सरकारी महाविद्यालयों से और दूसरा प्राइवेट महाविद्यालयों से होगा;

(v) राज्य सरकार द्वारा तीन वर्ष के लिए नामनिर्देशित किये जाने वाले, राज्य विधान–मण्डल के दो सदस्य;

और

(vi) राज्य सरकार द्वारा तीन वर्ष के लिए नामनिर्देशित किये जाने वाले दो विख्यात शिक्षाविद्; और

(IV) निर्वाचित सदस्य – विश्वविद्यालय और उसके घटक महाविद्यालयों के अध्यापकों द्वारा अपने में से तीन वर्ष के लिए निर्वाचित किये जाने वाले, विश्वविद्यालय आचार्यों, संकायाध्यक्षों, विश्वविद्यालय के महाविद्यालयों के निदेशकों से भिन्न, विश्वविद्यालय और उसके घटक/संबद्ध महाविद्यालयों के दो अध्यापक जिन्हें जिस वर्ष में निर्वाचन करवाये जाते

हैं उससे ठीक पूर्ववर्ती वर्ष की एक जनवरी को राजस्थान में उच्च शिक्षा की किसी भी संस्था में अध्यापन का सात वर्ष से अन्यून अनुभव हो।

(2) बोर्ड की बैठक में, एक तिहाई उपस्थित सदस्यों से बैठक की गणपूर्ति होगी।

(3) बोर्ड का अध्यक्ष ऐसे कृत्यों का पालन और ऐसी शक्तियों का प्रयोग करेगा जो इस अधिनियम में उपबंधित हैं या जो विहित की जायें।

(4) सदस्यों किसी भी अतिरिक्त वेतन के बिना सेवा करेंगे किन्तु ऐसे दैनिक भत्ते और यात्रा व्यय के हकदार होंगे जो विहित किये जायें।

(5) बोर्ड की बैठकों का कार्यवृत बोर्ड के सदस्य–सचिव द्वारा अभिलिखित और संधारित किया जायेगा।

20. बोर्ड के कर्तव्य और कृत्य.– बोर्ड के कर्तव्य और कृत्य निम्नलिखित होंगे :–

(क) विश्वविद्यालय के बजट को अनुमोदित और मंजूर करना ;

(ख) विश्वविद्यालय की संपत्ति और निधियों को अर्जित करना, व्ययनित करना, धारित करना और नियंत्रित करना और विश्वविद्यालय की ओर से कोई भी साधारण या विशेष निर्देश जारी करना ;

(ग) किसी भी जंगम या स्थावर संपति के अन्तरण को विश्वविद्यालय की ओर से स्वीकार करना ;

(घ) विनिर्दिष्ट प्रयोजनों के लिए विश्वविद्यालय के व्ययनाधीन रखी गयी किन्हीं भी निधियों का प्रबंध करना ;

(ङ) विश्वविद्यालय के धन का विनिधान करना ;

(च) विश्वविद्यालय के शैक्षणिक, प्रशासनिक और अन्य स्टाफ के सदस्यों को ऐसी रीति से नियुक्त करना, जो विहित की जाये ;

(छ) विश्वविद्यालय की सामान्य मुद्रा के प्ररूप और उपयोग का निर्देश देना ;

(ज) स्थायी या अस्थायी ऐसी समितियों की नियुक्ति करना जिन्हें वह अपने उचित कार्यकरण के लिए आवश्यक समझे ;

(झ) पूंजीगत सुधारों के लिए धन उधार लेना और उसके प्रतिसंदाय के लिए उपर्युक्त व्यवस्था करना ;

(ञ) ऐसे समय पर और इतनी बार बैठकें करना जितनी वह आवश्यक समझे, परन्तु बोर्ड की नियमित बैठक प्रत्येक तीन मास में कम से कम एक बार आयोजित की जायेगी ;

(ट) विश्वविद्यालय के सुचारू कार्यकरण के लिए इस अधिनियम में विहित रीति से परीनियमों, ऑर्डिनेन्सों और विनियमों को बनाना; और

(ठ) विश्वविद्यालय से संबंधित समस्त मामलों को इस अधिनियम और परिनियमों के अनुसार विनियमित और अर्जित करना और ऐसी शक्तियों का प्रयोग करना और ऐसे कर्तव्यों का निर्वहन करना जो इस अधिनियम और परिनियमों द्वारा बोर्ड को प्रदत्त की जायें या उस पर अधिरोपित किये जायें।

21. **विद्या परिषद.–** (1) विश्वविद्यालय की एक विद्या परिषद होगी जो निम्नलिखित सदस्यों से मिलकर बनेगी, अर्थात.–

(क) कुलपति – पदेन अध्यक्ष ;

(ख) संकायों के संकायाध्यक्ष ;

(ग) प्रत्येक संकाय से कुलपति द्वारा नामनिर्देशित किया जाने वाला एक आचार्य;

(घ) किसी घटक महाविद्यालय का कुलपति द्वारा नामनिर्देशित किया जाने वाला एक प्राचार्य/निदेशक ;

(ड) प्रमुख शासन सचिव, उच्च शिक्षा विभाग, राजस्थान या उसका नामनिर्देशिती जो शासन उप सचिव, राजस्थान की रैंक से नीचे का न हो ;

(च) निदेशक, महाविद्यालय शिक्षा, राजस्थान;

(छ) अध्ययन बोर्डों के अध्यक्ष;

(ज) संबद्व महाविद्यालयों के राज्य सरकार द्वारा नामनिर्देशित किये जाने वाले दो प्राचार्य, जिनमें से एक सरकारी महाविद्यालयों से और दूसरा प्राइवेट महाविद्यालयों से होगा ;

(झ) अध्ययन के क्षेत्र में विशेष योग्यता रखने वाले दो व्यक्ति जो विश्वविद्यालय के कर्मचारी नहीं हों, जिनमें से एक कुलाधिपति द्वारा और दूसरा राज्य सरकार द्वारा नामनिर्देशित किया जायेगा ;

(ञ) घटक महाविद्यालय/विश्वविद्यालय विभाग से कुलपति द्वारा नामनिर्देशित किये जाने वाला आचार्यों से भिन्न एक अध्यापक जिसे उपाधि या स्नातकोत्तर कक्षाओं में अध्यापन का न्यूनतम दस वर्ष का अनुभव हो ;

(ट) संबद्व महाविद्यालय से राज्य सरकार द्वारा नामनिर्देशित किया जाने वाला प्राचार्यों से भिन्न एक अध्यापक जिसे उपाधि या स्नातकोत्तर कक्षाओं में अध्यापन का न्यूनतम दस वर्ष का अनुभव हो; और

(ठ) विश्वविद्यालय का कुलसचिव, सदस्य–सचिव।

(2) नामनिर्देशित सदस्यों की पदावधि दो वर्ष होगी।

22. **विद्या परिषद के कृत्य.–(1)** विद्या परिषद विश्वविद्यालय के शैक्षणिक कार्यकलापों की भारसाधक होगी और इस अधिनियम और तदधीन बनाये गये परिनियमों और ऑर्डिनेन्सों के उपबंधों के अध्यधीन रहते हुए, शिक्षण, शिक्षा तथा परीक्षाओं के स्तर को बनाये रखने और उपाधियां तथा डिप्लोमे प्रदान करने की अपेक्षाओं पर नियंत्रण रखेगी और उसके लिए उत्तरदायी होगी।

(2) विद्या परिषद ऐसी अन्य शक्तियों का प्रयोग और ऐसे अन्य कर्तव्यों का पालन करेगी जो परिनियमों द्वारा उसे प्रदत्त किये जयें या उस पर अधिरोपित किये जायें और समस्त शैक्षणिक मामलों में कुलपति को सलाह देगी।

23. **संकायों की संरचना और कृत्य.–** (1) विश्वविद्यालय में ऐसे संकाय होंगे जो परिनियमों द्वारा विहित किये जायें।

(2) प्रत्येक संकाय निम्नलिखित से मिलकर बनेगा :–

(क) संकाय का संकायाध्यक्ष–अध्यक्ष ;

(ख) संकाय को समनुदेशित विषयों के विश्वविद्यालय आचार्य;

(ग) संकाय में अध्ययन बोर्डों के अध्यक्ष ;

(घ) संबद्व महाविद्यालयों से राज्य सरकार द्वारा नामनिर्देशित एक स्नातकोत्तर महाविद्यालय प्राचार्य और संकाय के प्रत्येक विषय में एक स्नातकोत्तर विभागाध्यक्ष; और

(ङ) विद्या परिषद द्वारा नामनिर्देशित दो बाह्य विशेषज्ञ।

(3) संकाय ऐसे कृत्यों का पालन करेगा जो परिनियमों द्वारा विहित किये जायें।

24. **अध्ययन बोर्ड :–** (1) अध्ययन बोर्ड इतने होंगे जितने परिनियमों द्वारा अवधारित किये जायें।

(2) अध्ययन बोर्ड ऐसी रीति से गठित किया जायेगा, ऐसे सदस्यों से मिलकर बनेगा, ऐसी शक्तियों का प्रयोग और ऐसे कृत्यों का पालन करेगा, जो विहित किये जायें।

25. **वित्त समिति :–** (1) वित्त समिति निम्नलिखित सदस्यों से मिलकर गठित होगी, अर्थात् :–

(क) कुलपति, जो समिति का अध्यक्ष होगा;

(ख) प्रमुख शासन सचिव, वित्त विभाग, राजस्थान, या शासन उप सचिव, राजस्थान से अनिम्न रैंक का उसका नामनिर्देशिती;

(ग) प्रमुख शासन सचिव, उच्च शिक्षा विभाग, राजस्थान, या शासन उप सचिव, राजस्थान से अनिम्न रैंक का उसका नामनिर्देशिती;

(घ) बोर्ड द्वारा इसके अशासकीय सदस्यों में से नामनिर्देशित किया जाने वाला बोर्ड का एक सदस्य;

(ङ) बोर्ड द्वारा चक्रानुक्रम में नामनिर्देशित किये जाने वाले दो आचार्य; और

(च) नियंत्रक, जो समिति का सदस्य–सचिव होगा।

(2) खण्ड (घ) और (ङ) के अधीन नामनिर्देशित सदस्यों की पदावधि दो वर्ष होगी।

26. **वित्त समिति के कृत्य :–** इस अधिनियम के अन्य उपबंधों के अध्यधीन, वित्त समिति मुख्यतः निम्नलिखित कृत्यों का पालन करेगी, अर्थात् :–

(i) विश्वविद्यालय के वार्षिक लेखाओं और वार्षिक बजट प्राक्कलनों का परीक्षण करना और उन पर बोर्ड को सलाह देना;

(ii) विश्वविद्यालय की वित्तीय स्थिति का समय समय पर पुनर्विलोकन करना;

(iii) विश्वविद्यालय के वित्त से संबंधित सभी विषयों पर बोर्ड को सिफारिश करना;

(iv) निधियों के सृजन, प्राप्तियों और व्ययों को अन्तर्वलित करने वाले समस्त प्रस्तावों पर बोर्ड को सिफारिशें करना;

(v) अधिशेष निधियों के विनिधान के लिए मार्गदर्शन उपलब्ध कराना;

(vi) ऐसे समस्त प्रस्तावों पर, जिनमें ऐसा व्यय अंतर्वलित हो, जिसके लिए बजट में कोई उपबंध नही किया गया हो या जिनके लिए बजट में उपबंधित रकम से अधिक व्यय उपगत किये जाने की आवश्यकता हो, बोर्ड को सिफारिश करना;

(vii) वेतनमानों के पुनरीक्षण, वेतनमानों के उन्नयन और उन मदों, जो बोर्ड के समक्ष रखे जाने के पूर्व बजट में सम्मिलित न की गयी हों, से संबंधित समस्त प्रस्तावों का परीक्षण करना; और

(viii) ऐसी अन्य शक्तियों का प्रयोग और ऐसे अन्य कृत्यों का पालन करना जो इसे विनियमों द्वारा प्रदत की जायें या इस पर अधिरोपित किये जायें।

27. **विश्वविद्यालय का अध्यापन :–** (1) विश्वविद्यालय द्वारा मान्यताप्राप्त समस्त अध्यापन विश्वविद्यालय विभागों में या महाविद्यालयों, संस्थानों और संस्थाओं में संचालित किये जायेंगे।

(2) ऐसे अध्यापन का संचालन करने के लिए उत्तरदायी प्राधिकारी ऐसे होंगे जो विहित किये जायें।

(3) पाठ्यक्रमानुसार अध्ययन और पाठ्यक्रम ऐसे होंगे जो ऑर्डिनेन्सों द्वारा और तदधीन रहते हुए, विनियमों द्वारा विहत किये जायें।

28. **विश्वविद्यालय के अध्यापक और अधिकारी :–** (1) विश्वविद्यालय के अध्यापकों और अधिकारियों की नियुक्ति राजस्थान विश्वविद्यालयों के अध्यापक तथा अधिकारी (नियुक्ति के लिए चयन) अधिनियम, 1974 (1974 का अधिनियम सं. 18) के उपबंधों के अनुसार की जायेगी।

(2) परिनियमों द्वारा उपबंधित मामलों के सिवाय, विश्वविद्यालय के अध्यापक और अधिकारी लिखित संविदा के अधीन नियुक्त किये जायेंगे। संविदा कुलपति के पास रखी जायेगी और उसकी एक प्रति संबंधित अध्यापक या अधिकारी को दी जायेगी। सेवा की शर्तो के संबंध में संविदा इस अधिनियम और तत्समय प्रवृत परिनियमों के उपबंधों से असंगत नही होगी।

29. **सेवानिवृत्ति की आयु :–** परिनियमों में किसी भी प्रतिकूल उपबंध के या इस सम्बन्ध में राज्य सरकार के किन्हीं भी निदेशों या नीति के अध्ययीन रहते हुए,

विश्वविद्यालय के समस्त कर्मचारी सामान्यतः साठ वर्ष की आयु प्राप्त करने पर सेवानिवृत होंगे।

30. **पेंशन या भविष्य निधि :–** (1) विश्वविद्यालय, अपने अधिकारियों, अध्यापकों, लिपिक वर्गीय स्टाफ और अन्य कर्मचारियों के फायदे के लिए ऐसी रीति से और ऐसी शर्तो के अध्यधीन रहते हुए, जो विहित की जाये, ऐसी पेन्शन, उपदान, बीमा और भविष्य निधि का गठन करेगा जो वह उचित समझे।

(2) भविष्य निधि अधिनियम, 1925 (1925 का केन्द्रीय अधिनियम सं. 19) के उपबंध किसी निधि या बीमा योजना पर इस प्रकार लागू होगे मानो कि वह राज्य सरकार की निधि या स्कीम हो और विश्वविद्यालय ऐसी निधि या स्कीम में अंशदान या विनिधान करेगा।

(3) परिनियमों में यह सुनिश्चित करने के लिए उपबंध किया जायेगा कि राज्य की सेवाओं में के नियोजन से स्थानान्तरित स्टाफ सदस्यों को ऐसे स्थानान्तरण पर संरक्षित उनके प्रोद्भूत सेवा फायदे मिलें।

31.**स्वायत्त प्रास्थिति का प्रदान किया जाना .–** (1) विश्वविद्यालय द्वारा, किसी सम्बद्ध महाविद्यालय या किसी मान्यताप्राप्त संस्था या किसी विश्वविद्यालय विभाग को छात्रों को प्रवेश देने, पाठ्यक्रम विहित करने, शिक्षा और प्रशिक्षण देने, परीक्षांए करवाने के मामलों में स्वायत्त प्रास्थिति ओर उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यक नियम बनाने की शक्तियां प्रदत की जा सकेंगी।

(2) बोर्ड, ऐसे किसी महाविद्यालय, संस्था या विभाग में शिक्षा के स्तर के बारे में अपना समाधान करने के प्रयोजन के लिए, ऐसे व्यक्तियों

से, जो उपयुक्त समझे जायें, मिलकर बनी किसी स्थायी समिति से विहित रीति से जाँच करवाने का निदेश दे सकेगा।

(3) उक्त समिति की रिपोर्ट और उस पर विद्या परिषद् की सिफारिश प्राप्त हो जाने पर, बोर्ड, समाधान हो जाने पर, मामले को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग और राज्य सरकार को उनकी सहमति प्राप्त करने के लिए निर्दिष्ट करेगा।

(4) विश्वविद्यालय, ऐसी सहमति प्राप्त होने पर, महाविद्यालय, संस्था या, यथास्थिति, विभाग को स्वायत्त प्रास्थिति प्रदान करेगा।

(5) स्वायत्त प्रास्थिति, इस प्रायोजन के लिए गठित की जाने वाली विशेषज्ञ समिति द्वारा पुनर्विलोकन के अध्यधीन रहते हुए, प्रारंभिक तौर पर पांच वर्ष की कालावधि के लिए प्रदान की जा सकेगी। समिति निम्नलिखित से गठित होगी, अर्थात् :–

(क) विश्वविद्यालय का एक नामनिर्देशिती;

(ख) राज्य सरकार का एक नामनिर्देशिती;

(ग) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग का एक नामनिर्देशिती;

(घ) स्वायत्त महाविद्यालय का कुलपति द्वारा नामनिर्देशित किया जाने वाला कोई अधिकारी।

(ङ) विश्वविद्यालय का कुलपति द्वारा नामनिर्देशित किया जाने वाला कोई अधिकारी।

(6) समिति, अपनी रिपोर्ट अग्रिम कार्रवाई के लिए बोर्ड को प्रस्तुत करेगी।

(7) विश्वविद्यालय ऐसे महाविद्यालय, संस्था या विभाग पर साधारण पर्यवेक्षण का प्रयोग और ऐसे महाविद्यालय, संस्था या विभाग के छात्रों को उपाधि प्रदान करता रहेगा।

(8) स्वायत्त महाविद्यालय, संस्था या विभाग, शैक्षणिक, वित्तीय और प्रशासनिक कार्यों के समुचित प्रबंध के लिए समितियां नियुक्त करेगा जो विहित की जायें।

(9) प्रत्येक स्वायत्त महाविद्यालय, संस्था या विभाग ऐसी रिपोर्ट, विवरणियां और अन्य सूचनाएं देंगे जिनकी बोर्ड समय–समय पर अपेक्षा करे।

(10) बोर्ड, प्रत्येक स्वायत्त महाविद्यालय, संस्था या विभाग का समय–समय पर निरीक्षण करवायेगा।

32.**स्वायत्त प्रास्थिति का वापस लिया जाना** :– (1) स्वायत्त प्रास्थिति का प्रदान विश्वविद्यालय द्वारा वापस लिया जा सकेगा यदि महाविद्यालय, संस्था या विभाग उसके प्रदान किये जाने की किन्हीं भी शर्तों का अनुपालन करने मे विफल रहा है या उसकी दक्षता का इतना क्षय हो गया है कि शिक्षा के हित में ऐसा किया जाना आवश्यक है।

(2) उप–धारा (1) के अधीन कोई आदेश किये जाने के पूर्व, बोर्ड, एक मास के लिखित नोटिस द्वारा, महाविद्यालय, संस्था या विभाग से यह हेतुक दर्शित करने की अपेक्षा करेगा कि ऐसा आदेश क्यो नही किया जाना चाहिए।

(3) नोटिस के प्रत्युतर में महाविद्यालय, संस्था या विभाग द्वारा दिये गये स्पष्टीकरण, यदि कोई हो, की प्राप्ति पर, बोर्ड, विद्या परिषद् और विश्वविद्यालय अनुदान आयोग से परामर्श करने के पश्चात्, मामले की रिपोर्ट राज्य सरकार को करेगा।

(4) राज्य सरकार, ऐसी और जांच, यदि कोई हो, जो उचित समझी जाये, के पश्चात्, मामले पर अपनी राय अभिलिखित करेगी और अपने विनिश्चय से विश्वविद्यालय को संसूचित करेगी और विश्वविद्यालय उस पर ऐसा आदेश करेगा जो वह उचित समझे।

(5) जहां स्वायत्त महाविद्यालय, संस्था या विभाग के मामले में, धारा 31 के अधीन प्रदत स्वायत्त प्रास्थिति उप–धारा (4) के अधीन किये गये आदेश द्वारा वापस ले ली जाती है, वहां ऐसे महाविद्यालय, संस्था या, यथास्थिति, विभाग की स्वायत्त प्रास्थिति, आदेश में विनिर्दिष्ट तारीख से समाप्त हो जायेगी।

33. **विश्वविद्यालय निधि.–** (1) विश्वविद्यालय, विश्वविद्यालय निधि के नाम से एक निधि स्थापित, संधारित करेगा और उसका प्रबंध करेगा।

(2) निम्नलिखित धनराशियां विश्वविद्यालय निधि का भाग होगी और उसमें संदत की जायेंगी, अर्थात् :–

(क) राज्य सरकार द्वारा कोई भी अंशदान या अनुदान;

(ख) विश्वद्यिालय को समस्त स्त्रोतों से उद्भूत होने वाली आय जिसमे फीस ओर प्रभारों से आय सम्मिलित है;

(ग) न्यास, वसीयत, दान, विन्यास और अन्य अनुदार यदि कोई हो; और

(घ) ऐसी अन्य धनराशियां जो परिनियमों द्वारा विहित की जायें।

(3) वे मामले, जिनमें निधि उपयोजित और विनियोजित की जायेगी, ऐसे होंगे जो इस अधिनियम या परिनियमों द्वारा विहित किये जायें।

(4) इस अधिनियम में अन्तर्विष्ट किसी भी उपबंध के अधीन और उसके अनुसरण में उपगत होने वाले समस्त व्यय की पूर्ति विश्वविद्यालय निधि से की जायेगी।

(5) विश्वविद्यालय को विश्वविद्यालय संपतियों की प्रतिभूति पर और राज्य सरकार की सहमति से, विश्वविद्यालय के प्रयोजनों के लिए धन उधार लेने की शक्ति होगी।

34. **लेखे और संपरीक्षा.–** (1) विश्वविद्यालय के वार्षिक लेखे और तुलनपत्र, कुलपति के निर्देश के अधीन, नियंत्रक द्वारा तैयार किये जायेंगे और किसी भी स्त्रोंत से विश्वविद्यालय को प्रोद्भूत होने वाली या उसके द्वारा प्राप्त समस्त धनराशियां और संवितरित या संदत समस्त रकमों की प्रविष्टि लेखाओं में की जायेगी।

(2) नियत्रंक, ऐसी तारीख से पूर्व जो परिनियमों में विहित की जाये, आगामी वर्ष के लिए वार्षिक वित्तीय प्राक्कलन तैयार करेगा।

(3) नियंत्रक द्वारा तैयार किये गये वार्षिक लेखे और वार्षिक वित्तीय प्राक्कलन वित्त समिति की टिप्पणियों के साथ बोर्ड की वार्षिक बैठक में अनुमोदन के लिए रखे जायेंगे और बोर्ड इसके संदर्भ में संकल्प पारित कर सकेगा और इसे नियंत्रक को संसूचित कर सकेगा जो तदनुसार कार्रवाई करेगा।

(4) लेखाओं की संपरीक्षा विहित रीति से ऐसे संपरीक्षकों द्वारा की जायेगी जैसा कि राज्य सरकार निर्देश दे और ऐसी संपरीक्षा का व्यय विश्वविद्यालय निधि पर प्रभार होगा।

(5) संपरीक्षित होने पर लेखे मुद्रित किये जायेंगे और उनकी प्रतियां, संपरीक्षा रिपार्ट सहित, कुलपति द्वारा बोर्ड को प्रस्तुत की जायेगी जो उन्हे ऐसी टिप्पणियों सहित, जो आवश्यक समझी जायें, राज्य सरकार को अग्रेषित करेगा।

(6) विश्वविद्यालय संपरीक्षा में किये गये आक्षेपों का समाधान करेगा और ऐसे अनुदेशों को कार्यान्वित करेगा जो संपरीक्षा रिपोर्ट पर राज्य सरकार द्वारा जारी किये जायें।

35. **राज्य सरकार का नियंत्रण.–** जहां राज्य सरकार की निधियां अन्तर्वलित हैं, वहां विश्वविद्यालय ऐसी निधियों की मंजूरी से संबद्ध निबंधनों और शर्तों का पालन करेगा जिनमें, अन्य बातों के साथ–साथ निम्नलिखित के संबंध में राज्य सरकार की पूर्व अनुज्ञा भी सम्मिलित है, अर्थात् :–

(क) अध्यापकों, अधिकारियों या अन्य कर्मचारियों के नये पदों का सृजन;

(ख) अपने अध्यापकों, अधिकारियों और अन्य कर्मचारियों को वेतन, भत्तों, सेवानिवृति–पश्चात् के फायदों और अन्य फायदों का पुनरीक्षण;

(ग) अपने किन्ही भी अध्यापकों, अधिकारियों या अन्य कर्मचारियों को किसी भी प्रकार का अन्य अतिरिक्त पारिश्रमिक जिसमें वित्तीय विवक्षा रखने वाला अनुग्रहपूर्वक संदाय या अन्य फायदे सम्मिलित हैं, की मंजूरी;

(घ) किसी भी निश्चित निधि का ऐसे प्रयोजन, जिसके लिए वह प्राप्त की गयी थी, से भिन्न प्रयोजन के लिए अपयोजन;

(ड़) स्थावर सम्पति का विक्रय, पट्टे, बंधक द्वारा या अन्यथा अन्तरण;

(च) राज्य सरकार से प्राप्त निधियों से, ऐसे प्रयोजनों, जिनके लिए निधियां प्राप्त की गयी हैं, से भिन्न प्रयोजनों के लिए किसी भी विकास कार्य पर व्यय उपगत करना; और

(छ) संबद्ध महाविद्यालयों के बारे में ऐसा कोई भी विनिश्चय करना जिसके परिणामस्वरूप राज्य सरकार के लिए प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष वित्तीय दायित्व बढ़ जाये।

स्पष्टीकरण.– पूर्वोक्त शर्तें किसी भी अन्य निधि से सृजित ऐसे पदों के संबंध में भी लागू होंगी जिनसे राज्य सरकार पर दीर्घकाल में वित्तीय विवक्षांए होने की संभावना हो।

36. आपात उपाय के रूप में राज्य सरकार द्वारा वित्तीय नियंत्रण की धारण.–

(1) राज्य सरकार को, विश्वविद्यालय के वित्त से संबंधित किसी भी मामले में जहां राज्य सरकार की निधियों का संबंध हो, ऐसे व्यक्ति या व्यक्तियों द्वारा, जैसा कि वह निदेश दे, जांच करवाने और विश्वविद्यालय को निदेश जारी करने का अधिकार होगा।

(2) यदि राज्य सरकार का यह समाधान हो जाता है कि विश्वविद्यालय में कुप्रशासन या वित्तीय कुप्रबंध के कारण ऐसी स्थिति पैदा हो गयी है जिसमें विश्वविद्यालय की वित्तीय स्थिरता असुरक्षित हो गयी है तो वह, अधिसूचना द्वारा, यह घोषणा कर सकेगी कि विश्वविद्यालय का वित्त राज्य सरकार के नियंत्रणाधीन होगा और ऐसे अन्य निर्देश जारी करेगी जो वह उक्त प्रयोजन के लिए ठीक समझे और वे विश्वविद्यालय पर बाध्यकारी होंगे।

37.**सदस्यता संबंधी अनुपूरक उपबंध.–** (1) विश्वविद्यालय के किसी भी प्राधिकारी या निकाय के (पदेन सदस्यों से भिन्न) सदस्यों में हुई समस्त आकस्मिक रिक्तियां यथासंभवन शीघ्र, नियुक्ति, नामनिर्देशन या निर्वाचन द्वारा उसी प्रकार भरी जायेंगी

जिस प्रकार सदस्य को, जिसका स्थान रिक्त हुआ है, नियुक्त या नाम निर्देशित निर्वाचित किया गया था और किसी आकस्मिक रिक्ति पर नियुक्त या नामनिर्देशित निर्वाचित व्यक्ति ऐसे प्राधिकारी या निकाय का ऐसी अवशिष्ट कालावधि के लिए सदस्य रहेगा जितनी अवधि के लिए वह व्यक्ति, जिसका स्थान वह भरता है, यदि स्थान रिक्त नही हुआ होता तो बना रहता।

(2) कोई व्यक्ति, जो विश्वविद्यालय में कोई भी पद, विश्वविद्यालय का कोई भी अन्य पद धारण करने के आधार पर या अन्यथा धारण करता है, ऐसा पद तब तक, जब तक कि वह अन्य पद धारण करता है, धारण करेगा और तत्पश्चात् तब तक धारण करता

रहेगा जब तक कि उसका उत्तराधिकारी सम्यक् रूप से नामनिर्देशित, नियुक्त या, यथास्थिति, निर्वाचित नही कर दिया जाता है।

(3) बोर्ड ऐसे किसी भी व्यक्ति को, जो विश्वविद्यालय का कोई अधिकारी नहीं हो, किसी भीप्राधिकारी या निकाय की सदस्यता से या विश्वविद्यालय के किसी भी कर्मचारी नैतिक अधमता से अन्तर्वलित किसी अपराध के लिए या ध्वंसक गतिविधियों में भाग लेने के लिए या विश्वविद्यालय की प्रतिष्ठा के लिए अशोभनीय किसी कार्य या कार्यों में भाग लेने के आधार पर सिद्धदोष ठहराया गया हैः

परन्तु ऐसे किसी व्यक्ति या कर्मचारी को इस उप–धारा के अधीन तब तक नहीं हटाया जायेगा जब तक कि उसे बोर्ड द्वारा यह हेतुक दर्शित करने का युक्तियुक्त अवसर नहीं दे दिया गया हो कि उसे इस प्रकार क्यों नहीं हटा दिया जाना चाहिए और ऐसे हेतुक पर विचार नहीं कर लिया गया होः

परन्तु यह और कि विश्वविद्यालय के किसी भी प्राधिकारी या निकाय के राज्य सरकार द्वारा नामनिर्देशित किसी सदस्य के विरूद्ध ऐसी कार्रवाई करने के लिए राज्य सरकार का पूर्व अनुमोदन आवश्यक होगा।

(4) यदि ऐसे किसी व्यक्ति के संबंध में, जो बोर्ड के अधीनस्थ विश्वविद्यालय के किसी भी प्राधिकारी के सदस्य के रूप में नियुक्त, नामनिर्देशित या निर्वाचित किया गया हो या उसका सदस्य होने का हकदार है या इस अधिनियम और परिनियमों के अधीन बोर्ड के किसी भी विनिश्चय के संबंध में कोई प्रश्न उद्भूत होता है तो मामला कुलाधिपति को, उसके विनिश्चय के लिए निर्दिष्ट किया जायेगा और कुलाधिपति का विनिश्चय अंतिम होगा।

38. **विश्वविद्यालय प्राधिकारियों और निकायों की कार्यवाहीयों का किसी भी रिक्ति के कारण अविधिमान्य नहीं होना.–** विश्वविद्यालय के किसी भी प्राधिकारी या निकाय का कोई कार्य, या कार्यवाही उसके सदस्यों में किसी रिक्ति की विद्यमानता के कारण या ऐसे किसी व्यक्ति के कार्यवाहियों में भाग लेने के कारण, जो तत्पश्चात् ऐसा करने का हकदार नहीं पाया जाता है, अविधिमान्य नहीं होगी।

39. **पदनाम में परिवर्तन की दशा में सरकारी अधिकारियों के प्रति निर्देश के रूप में लगाया जाना.**– जहां इस अधिनियम के या परिनियमों, आर्डिनेन्सों या विनियमों के किसी भी उपबंध में राज्य सरकार के किसी अधिकारी का निर्देश पदनाम से हो वहां, यदि वह पदनाम परिवर्तित कर दिया जाता है या वह पद अस्तित्वहीन हो जाता है तो, उक्त निर्देश का अर्थ परिवर्तित पदनाम या, यथास्थिति, ऐसे तत्समान अधिकारी, जैसा राज्य सरकार निर्दिष्ट करे, के प्रति निर्देश के रूप में लगाया जायेगा।

40. **सूचना अभिप्राप्त करने की शक्ति.–** इस अधिनियम या तत्समय प्रवृत किसी विधि में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी राज्य सरकार, लिखित आदेश द्वारा, विश्वविद्यालय के कार्यकलापों से संबंधित किसी भी विषय पर विश्वविद्यालय से कोई भी सूचना मंगा सकेगी और विश्वविद्यालय, यदि ऐसी सूचना उसके पास उपलब्ध है तो ऐसी सूचना राज्य सरकार को युक्तियुक्त कालावधि के भीतर–भीतर देगा।

41. **वार्षिक रिपोर्ट.–** विश्वविद्यालय की वार्षिक रिपोर्ट कुलपति के निदेश के अधीन तैयार की जायेगी और बोर्ड के सदस्यों में बोर्ड की वार्षिक बैठक, जिसमें उस पर विचार किया जाना है, के एक मास पूर्व प्रचालित की जायेगी। बोर्ड द्वारा यथा–अनुमोदित वार्षिक रिपोर्ट राज्य विधान–मण्डल के सदन के पटल पर रखे जाने के लिए राज्य सरकार को भेजी जायेगी।

42. **परिनियम.–** इस अधिनियम के उपबंधों के अध्यधीन रहते हुए, परिनियमों में किसी भी मामले के लिए उपबंध किया जा सकेगा और विशिष्टतया निम्नलिखित के लिए उपबंध किया जायेगा :–

(क) विश्वविद्यालय के प्राधिकारियों का गठन, शक्तियां और कर्तव्य ;

(ख) विश्वविद्यालय के प्राधिकारियों के सदस्यों की नियुक्ति, नामनिर्देशन या निर्वाचन और उनके पद पर बने रहने और इन प्राधिकारियों से संबंधित ऐसे समस्त अन्य मामले, जिनके लिए उपबंध करना आवश्यक या वांछनीय हो;

(ग) विश्वविद्यालय के अधिकारियों के पदनाम, नियुक्ति की रीति, शक्तियां, कर्तव्य और सेवा शर्तें;

(घ) अध्यापकों का वर्गीकरण और उनकी नियुक्ति की रीति और उनकी सेवा शर्तें और अर्हताएं;

(ङ) विश्वविद्यालय के अधिकारियों, अध्यापकों और अन्य कर्मचारियों के फायदे के लिए पेंशन, उपदान, बीमा और भविष्य निधियों का गठन;

(च) सम्मानिक उपाधियों का प्रदान किया जाना;

(छ) विभागों की स्थापना, समामेलन, उप–विभाजन और समाप्ति;

(ज) विश्वविद्यालय द्वारा संधारित छात्रावासों की स्थापना और उनकी समाप्ति;

(झ) ऐसी धनराशियां जो विश्वविद्यालय निधि का भाग होंगी और उसमें संदत की जायेंगी और ऐसे मामले जिनमें निधि उपयोजित और विनियोजित की जा सकेगी;

(ञ) विश्वविद्यालय के अध्यापकों की संख्या और उनकी उपलब्धियां, और उनकी और क्रियाकलापों का अभिलेख तैयार करना और रखना;

(ट) विश्वविद्यालय के कार्य में नियोजित व्यक्तियों को संदत किये जाने वाले पारिश्रमिक और भत्ते, जिनमें यात्रा और दैनिक भत्ते भी सम्मिलित है; और

(ठ) ऐसे अन्य समस्त मामले जिनके लिए इस अधिनियम द्वारा उपबंध किये जाने की उपेक्षा की गयी है या उपबंध किया जा सकेगा, या जो आर्डिनेन्सों और विनियमों से अन्यथा विहित किये जा सकेंगे।

43. **परिनियम कैसे बनाये जायेंगे .–** (1) परिनियम बोर्ड द्वारा, इसमें आगे उपबंधित रीति से बनाये, संशोधित और निरसित किये जा सकेंगे।

(2) बोर्ड किसी परिनियम के प्रारूप पर या तो स्वप्रेरणा से या विश्वविद्यालय के किसी भी प्राधिकारी द्वारा प्रस्ताव किये जाने पर, विचार कर सकेगा।

(3) बोर्ड, यदि वह आवश्यक समझे तो, किसी प्रारूप–परिनियम के बारे में, जो उसके समक्ष विचार के लिए है, विश्वविद्यालय के किसी भी अधिकारी, प्राधिकारी या निकाय की राय भी अभिप्राप्त कर सकेगा।

(4) बोर्ड द्वारा पारित किया गया प्रत्येक परिनियम कुलाधिपति को प्रस्तुत किया जायेगा जो उस पर अपनी अनुमति दे सकेगा या उसे रोक सकेगा या उसे बोर्ड के पास पुनर्विचार के लिए वापस भेज सकेगा।

(5) बार्ड द्वारा पारित किया गया कोई भी परिनियम तब तक विधिमान्य या प्रवृत नहीं होगा जब तक कि कुलाधिपति द्वारा उस पर अनुमति न दे दी जाये।

(6) पूर्वगामी उप–धाराओं में अन्तर्विष्ट किसी बात के होने पर भी, कुलाधिपति, या तो स्वप्रेरणा से या राज्य सरकार की सलाह पर, उसके द्वारा विनिर्दिष्ट किसी भी मामले के बारे में परिनियमों में उपबंध करने के लिए विश्वविद्यालय को निदेश दे सकेगा/सकेगी और यदि बोर्ड ऐसे किसी निदेश को उसकी प्राप्ति के साठ दिन के भीतर–भीतर क्रियान्वित करने में असफल रहता है तो कुलाधिपति, बोर्ड द्वारा ऐसे निदेश का पालन करने में उसकी असमर्थता के लिए संसूचित कारणों, यदि कोई हों, पर विचार करने के पश्चात्, परिनियम बना सकेगा/सकेगी या उन्हें समुचित रूप से संशोधित कर सकेगा/सकेगी।

44. **आर्डिनेन्स.–** इस अधिनियम और परिनियमों के उपबंधों के अध्यधीन रहते हुए, ऑर्डिनेन्सों में निम्नलिखित सभी या किन्हीं भी मामलों के लिए उपबंध किया जा सकेगा, अर्थात् :–

(क) पाठ्यक्रम, छात्रों का प्रवेश या नामांकन, किसी भी उपाधि, डिप्लोमा, प्रमाणपत्र या अध्येतावृति के लिए अपेक्षित फीस, अर्हताएं या शर्ते;

(ख) परीक्षकों की नियुक्ति और उनके निबंधनों और शर्तों को सम्मिलित करते हुए परीक्षाओं का संचालन ;

(ग) विश्वविद्यालय द्वारा चलाये जाने वाले या संधारित किसी छात्रावास या अन्य निवास–स्थान में निवास करने के लिए शर्तें, उनके लिए प्रभारों का उद्ग्रहण और अन्य संबंधित मामले;

(घ) विश्वविद्यालय द्वारा चलाये या संधारित न किये जाने वाले छात्रावासों को मान्यता और उनका पर्यवेक्षण; और

(ड़) ऐसा कोई भी अन्य मामला जिस पर इस अधिनियम या परिनियमों द्वारा विश्वविद्यालय के ऑर्डिनेन्सों के द्वारा या अधीन विचार किया जाना अपेक्षित हो।

45. **आर्डिनेन्स कैसे बनाये जायेंगे.–** (1) बोर्ड इसमें इसके आगे उपबंधित रीति से आर्डिनेन्स बना सकेगा, संशोधित या निरसित कर सकेगा।

(2) बोर्ड द्वारा शैक्षणिक मामलों से संबंधित कोई भी आर्डिनेन्स तब तक नहीं बनाये जायेंगे जब तक कि उनका कोई प्रारूप विद्या परिषद् द्वारा प्रस्तावित नहीं किया गया हो।

(3) बोर्ड को उप–धारा (2) के अधीन विद्या परिषद् द्वारा प्रस्तावित किसी भी प्रारूप का संशोधन करने की शक्ति नही होगी किन्तु वह उसे, भागतः या पूर्णतः, नामंजूर कर सकेगा या ऐसे किन्हीं भी संशोधनों के साथ, जिनका बोर्ड सुझाव दे, पुनर्विचार के लिए विद्या परिषद् को लौटा सकेगा।

(4) बोर्ड द्वारा बनाये गये समस्त आर्डिनेन्स ऐसी तारीख से प्रभावी होंगे जो वह निदिष्ट करे, किन्तु इस प्रकार बनाया गया प्रत्येक आर्डिनेन्स दो सप्ताह के भीतर–भीतर, कुलाधिपति को प्रस्तुत किया जायेगा। कुलाधिपति को आर्डिनेन्स की प्राप्ति के चार सप्ताह के भीतर–भीतर, उसके प्रवर्तन को निलंबित करने का बोर्ड को निदेश देने की शक्ति होगी और वह यथासंभव शीघ्र, उस पर अपने आक्षेप के बारे में बोर्ड को सूचित करेगा/करेगी। वह, बोर्ड की टिप्पणियां प्राप्त होने के पश्चात्, या तो आर्डिनेन्स को निलंबित करने वाला आदेश वापस ले सकेगा/सकेगी या आर्डिनेन्स को अननुज्ञात कर सकेगा/सकेगी और उसका विनिश्चय अंतिम होगा।

46. **विनियम.–** (1) विश्वविद्यालय का प्रत्येक प्राधिकारी इस अधिनियम और परिनियमों और आर्डिनेन्सों से संगत विनियम निम्नलिखित के लिए बना सकेगाः–

(क) अपनी बैठकों में अनुपालन की जाने वाली प्रक्रिया और गणपूर्ति के लिए अपेक्षित सदस्यों की संख्या अधिकथित करना;

(ख) ऐसे समस्त मामलो के लिए उपबंध करना जिनके लिए इस अधिनियम और परिनियमों या आर्डिनेन्सों द्वारा, उस प्राधिकारी के द्वारा विनियमों द्वारा उपबंध किये जाने हैं; और

(ग) ऐसे किसी भी अन्य मामले के लिए उपबंध करना जो केवल ऐसे प्राधिकारी से संबंधित हो और जिसके लिए इस अधिनियम और परिनियमों या आर्डिनेन्स द्वारा उपबंध नहीं किया गया हो।

(2) विश्वविद्यालय का प्रत्येक प्राधिकारी, ऐसे प्राधिकारी के सदस्यों को, बैठकों की तारीखों का और उन बैठकों में किये जाने वाले कार्यों का नोटिस देने के लिए और बैठकों की कार्यवाही का अभिलेख रखने के लिए उपबंध करते हुए विनियम बनायेगा।

(3) बोर्ड, इस धारा के अधीन विश्वविद्यालय के किसी भी प्राधिकारी द्वारा बनाये गये किन्हीं भी विनियमों में, ऐसी रीति से, जो वह विनिर्दिष्ट करे, संशोधन करने के लिए या उनके बातिलकरण के लिए निदेश दे सकेगा।

47. **शक्तियों का प्रत्यायोजन.–** बोर्ड, इस अधिनियम द्वारा उसे प्रदत्त शक्तियों में से कोई भी शक्ति किसी भी अधिकारी या प्राधिकारी को, ऐसे निबंधनों और शर्तों के अध्यधीन रहते हुए, जो विहित की जायें, प्रयोग की जाने के लिए परिनियमों द्वारा, प्रत्यायोजित कर सकेगा।

48. **संपतियों और जनशक्ति का अन्तरण.–** तत्समय प्रवृत्त किसी भी विधि में अन्तर्विष्ट किसी बात के होने पर भी, कुलाधिपति, इस अधिनियम के उपबंधों को प्रभावी करने के लिए राज्य सरकार की सलाह से, ऐसे निबंधनों और शर्तों पर, जो आदेशों में विनिर्दिष्ट की जायें, राजस्थान विश्वविद्यालय या किसी भी अन्य विश्वविद्यालय से इस विश्वविद्यालय को निम्नलिखित के अंतरण के लिए ऐसे आदेश कर सकेगा, जो आवश्यक समझे जायें:–

(क) कोई भी अधिकारी, अध्यापक, कर्मचारी या सेवक,

(ख) इस विश्वविद्यालय की अधिकारिता वाले क्षेत्र में स्थित कोई भी जंगम या स्थावर संपत्ति या उसमें के कोई भी अधिकार या हित, और

(ग) प्राप्त, प्रोद्भूत या वचनबद्ध कोई भी निधि, अनुदान, अंशदान, दान, सहायता या हिताधिकार।

49. **अंतः कालीन उपबंध.–** (1) राजस्थान विश्वविद्यालय अधिनियम, 1946 के अधीन बनाये गये समस्त परिनियम, आर्डिनेन्स और विनियिम, जहां तक वे इस अधिनियम के उपबंधो से असंगत नहीं हों, इस अधिनियम के अधीन बनाये हुए समझे जायेंगे और तब तक प्रवृत्त रहेंगे जब तक कि उन्हें इस अधिनियम के अधीन बनाये गये विनियमों, आर्डिनेन्सों या परिनियमों द्वारा अतिष्ठित या उपांतरित न कर दिया जाये।

(2) राजस्थान विश्वविद्यालय अधिनियम, 1946 के अधीन किसी भी प्राधिकारी द्वारा बनाये गये या जारी किये गये समस्त नोटिस और आदेश, जहां तक वे इस अधिनियम

के उपबंधो से असंगत नही हों, इस अधिनियम के अधीन तत्समान प्राधिकारी द्वारा बनाये हुए या जारी किये हुए समझे जायेंगे और तब तक प्रवृत्त रहेंगे जब तक कि उन्हें इस अधिनियम के अधीन अतिष्ठित या उपांतरित न कर दिया जाये।

50. **अस्थायी व्यवस्थाएं.**– (1) इस अधिनियम के प्रारंभ होने के पश्चात् किसी भी समय और ऐसे समय तक, जब तक विश्वविद्यालय के प्राधिकारियों का सम्यक् रूप से गठन नहीं हो जाता, विश्वविद्यालय के किसी भी अधिकारी को ऐसे किसी भी प्राधिकारी के कर्तव्यों का पालन करने के लिए, कुलाधिपति के पूर्व अनुमोदन से, कुलपति द्वारा नियुक्त किया जा सकेगा।

(2) कुलपति अस्थायी नियुक्तियां, ऐसी नियुक्तियां करने के पश्चात् होने वाली बोर्ड की आगामी बैठक में बोर्ड के अनुमोदन के अध्यधीन रहते हुए, कर सकेगा।

51. **अवशिष्ट उपबंध.**– बोर्ड को ऐसे किसी भी मामले पर कार्यवाही करने का प्राधिकार होगा जो विश्वविद्यालय से संबंधित हो और जिसके सम्बन्ध में इस अधिनियम में विनिर्दिष्ट रूप से विचार नहीं किया गया है। ऐसे समस्त मामलों पर बोर्ड का विनिश्चय, कुलाधिपति द्वारा पुनरीक्षण के अध्यधीन रहते हुए, अंतिम होगा और वह किसी भी न्यायालय या अधिकरण में आक्षेपणीय नहीं होगा।

52. **कठिनाइयों का निराकरण.**– (1) राज्य सरकार, इस अधिनियम के अन्तर्गत आने वाले क्षेत्र और मामलों में किन्हीं भी कठिनाइयों के निराकरण के प्रयोजन के लिए राजपत्र में प्रकाशित आदेश द्वारा–

(क) निदेश दे सकेगी कि यह अधिनियम ऐसी कालावधि के दौरान, जो आदेश में विनिर्दिष्ट की जाये, ऐसे अनुकूलनों के, जो चाहे उपांतरण, परिवर्धन या लोप के रूप में हों, और जो इस अधिनियम से संगत हों, अध्यधीन रहते हुए, जिन्हें राज्य सरकार आवश्यक या समीचीन होना ठीक समझे, प्रभावी होगा; या

(ख) ऐसे निदेश दे सकेगी, जो उसे ऐसी कठिनाइयों, जो इस अधिनियम के उपबंधों को प्रभावी करने में उद्भूत हों, के निराकरण के लिए आवश्यक प्रतीत हों; या

(ग) ऐसी किन्हीं भी कठिनाइयों का निराकरण करने के प्रयोजन के लिए ऐसे अन्य अस्थायी उपबंध कर सकेगी जिन्हें वह आवश्यक या समीचीन होना ठीक समझेः

परन्तु ऐसा कोई भी आदेश इस अधिनियम के प्रारंभ की तारीख से बारह मास के पश्चात् नहीं किया जायेगा।

(2) उप–धारा (1) के अधीन किये गये समस्त आदेश राज्य विधान–मण्डल के सदन के समक्ष चौदह दिन की ऐसी कालावधि के लिए, जो एक सत्र में या दो उतरोत्तर सत्रों में समाविष्ट हो सकेगी, रखे जायेंगे और यदि, उस सत्र की, जिसमें वे इस प्रकार रखे गये है, या ठीक अगले सत्र की समाप्ति के पूर्व राज्य विधान–मण्डल का सदन ऐसे किन्हीं भी आदेशों में कोई उपांतरण करता है या यह संकल्प करता है कि ऐसे आदेशों में से कोई आदेश नहीं किया जाना चाहिए तो तत्पश्चात् ऐसा आदेश केवल ऐसे उपांतरित रूप में प्रभावी होगा या, यथास्थिति, उसका कोई प्रभाव नहीं होगा तथापि, ऐसा कोई भी उपांतरण या बातिलकरण उसके अधीन पूर्व में की गयी किसी भी बात की विधिमान्यता पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं डालेगा।

(3) यदि इस अधिनियम के या इस अधिनियम के अधीन बनाये गये किन्हीं भी परिनियमों या आर्डिनेन्सों या विनियमों के किन्हीं भी उपबंधों के निर्वचन के संबंध में या इस विषय में कि आया कोई व्यक्ति विश्वविद्यालय के किसी भी प्राधिकारी या अन्य निकाय का सम्यक् रूप से सदस्य नियुक्त किया गया है या सदस्य होने का हकदार है, कोई प्रश्न उद्भूत होता है तो मामला कुलाधिपति को निर्देशित किया जा सकेगा और यदि कुलपति और बोर्ड के कोई भी दस सदस्य ऐसी अपेक्षा करें तो, निर्देशित किया जायेगा। कुलाधिपति, राज्य सरकार से ऐसी सलाह लेने के पश्चात्, जो वह आवश्यक समझे, प्रश्न का विनिश्चय करेगा/करेगी और उसका विनिश्चय अंतिम होगा।

53. **निरसन और व्यावृत्तियां .–** (1) मत्स्य विश्वविद्यालय, अलवर अध्यादेश, 2012 (2012 का अध्यादेश सं. 5) इसके द्वारा निरसित किया जाता है।

(2) ऐसे निरसन के होते हुए भी, उक्त अध्यादेश के अधीन की गयी समस्त बातें, कार्रवाइयां या किये गये आदेश इस अधिनियम के अधीन किये गये समझे जायेंगे।

प्रकाश गुप्ता,
प्रमुख शासन सचिव।

	राजस्थान राज–पत्र विशेषांक	RAJASTHAN GAZETTE Extraordinary
सत्यमेव जयते	साधिकार प्रकाशित	*Published by Authoriy*
	आषाढ़ 13,शुक्रवार, शाके 1936–जुलाई 4, 2014 *Asadha 13, Friday, Saka 1936-July 4, 2014*	

भाग 4 (क)
राजस्थान विधान मंडल के अधिनियम।
विधि (विधायी प्रारूपण) विभाग
(ग्रुप–2)
अधिसूचना
जयपुर, जुलाई 4, 2014

संख्या प.2(14) विधि/2/2014 :– राजस्थान राज्य विधान–मण्डल का निम्नांकित अधिनियम, जिसे राज्यपाल महोदया की अनुमति दिनांक 03 जुलाई, 2014 को प्राप्त हुई, एतद्द्वारा सर्वसाधारण की सूचनार्थ प्रकाशित किया जाता है:–

मत्स्य विश्वविद्यालय, अलवर (नाम परिवर्तन) अधिनियम, 2014
(2014 का अधिनियम संख्यांक 11)

(राज्यपाल महोदया की अनुमति दिनांक 03 जुलाई, 2014 को प्राप्त हुई)

मत्स्य विश्वविद्यालय, अलवर का नाम परिवर्तन करने और मत्स्य विश्वविद्यालय, अलवर अधिनियम, 2012 में कतिपय संशोधन करने के लिए अधिनियम।

भारत गणराज्य के पैंसठवें वर्ष में राजस्थान राज्य विधान–मण्डल निम्नलिखित अधिनियम बनाता है:–

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ.–** (1) इस अधिनियम का नाम मत्स्य विश्वविद्यालय, अलवर (नाम परिवर्तन) अधिनियम, 2014 है।
   (2) यह तुरन्त प्रवृत्त होगा।
2. **मत्स्य विश्वविद्यालय, अलवर का नाम परिवर्तन.–** (1) मत्स्य विश्वविद्यालय, अलवर अधिनियम, 2012 (2012 का अधिनियम सं. 27), जिसे इसमें आगे मूल अधिनियम कहा गया है, के अधीन निगमित मत्स्य विश्वविद्यालय, अलवर का नाम इस अधिनियम के प्रारम्भ की तारीख से राज ऋषि भर्तृहरि मत्स्य विश्वविद्यालय, अलवर होगा।

(2) तत्समय प्रवृत्त किसी भी विधि में या किसी भी अनुबन्ध, लिखित या अन्य दस्तावेजों में मत्स्य विश्वविद्यालय, अलवर के प्रति किसी भी निर्देश को इस अधिनियम द्वारा उस विश्वविद्यालय के यथा–परिवर्तित नाम से उसके प्रति निर्देश के रूप में पढ़ा और अर्थान्वित किया जायेगा।

(3) इस अधिनियम में की कोई भी बात उक्त विश्वविद्यालय की निगमित प्रास्थिति की निरन्तरता पर प्रभाव नहीं डालेगी।

3. **संशोधन.–** (1) इस अधिनियम के प्रारम्भ की तारीख से मूल अधिनियम, इस अधिनियम की अनुसूची में विनिर्दिष्ट विस्तार तक और रीति से, संशोधित हो जायेगा।

(2) उप–धारा (1) के उपबंध धारा 2 के उपबंधों की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं डालेंगे।

4. **मूल अधिनियम का प्रोद्धरण.–** मूल अधिनियम को राज ऋषि भर्तृहरि मत्स्य विश्वविद्यालय, अलवर अधिनियम, 2012 के रूप में प्रोद्धृत किया जायेगा।

अनुसूची
(धारा 3 देखिए)

दीर्घ नाम :– दीर्घ नाम में, विद्यमान अभिव्यक्ति ''अलवर में मत्स्य विश्वविद्यालय'' के स्थान पर अभिव्यक्ति '' अलवर में राज ऋषि भर्तृहरि मत्स्य विश्वविद्यालय''प्रतिस्थापित की जायेगी।

धारा 1.– उप–धारा (1) में, विद्यमान अभिव्यक्ति ''मत्स्य विश्वविद्यालय, अलवर'' के स्थान पर अभिव्यक्ति ''राज ऋषि भर्तृहरि मत्स्य विश्वविद्यालय, अलवर'' प्रतिस्थापित की जायेगी।

धारा 2.– विद्यमान खण्ड (ण) के स्थान पर, निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जायेगा, अर्थात् :–

''(ण) ''विश्वविद्यालय'' से धारा 3 के अधीन निगमित राज ऋषि भर्तृहरि मत्स्य विश्वविद्यालय, अलवर अभिप्रेत है;''।

धारा 3.–उप–धारा (1) में, विद्यमान अभिव्यक्ति ''मत्स्य विश्वविद्यालय, अलवर'' के स्थान पर अभिव्यक्ति ''राज ऋषि भर्तृहरि मत्स्य विश्वविद्यालय, अलवर'' प्रतिस्थापित की जायेगी।

प्रकाश गुप्ता,
प्रमुख शासन सचिव।

	राजस्थान राज–पत्र विशेषांक	RAJASTHAN GAZETTE Extraordinary
सत्यमेव जयते	साधिकार प्रकाशित	*Published by Authoriy*
	वैशाख 15,शुक्रवार, शाके 1939–मई 5, 2017 *Vaisakha 15, Friday, Saka 1939-May 5, 2017*	

भाग 4 (क)
राजस्थान विधान मंडल के अधिनियम।
विधि (विधायी प्रारूपण) विभाग
(ग्रुप–2)
अधिसूचना
जयपुर, मई 5, 2017

संख्या प. 2(13) विधि/2/2017 :– राजस्थान राज्य विधान–मण्डल का निम्नांकित अधिनियम, जिसे राज्यपाल महोदय की अनुमति दिनांक 04 मई, 2017 को प्राप्त हुई, एतद्द्वारा सर्वसाधारण की सूचनार्थ प्रकाशित किया जाता है:–

राज ऋषि भर्तृहरि मत्स्य विश्वविद्यालय, अलवर (संशोधन) अधिनियम, 2017
(2017 का अधिनियम संख्यांक 13)

(राज्यपाल महोदय की अनुमति दिनांक 04 मई, 2017 को प्राप्त हुई)

राज ऋषि भर्तृहरि मत्स्य विश्वविद्यालय, अलवर अधिनियम, 2012 को और संशोधित करने के लिए अधिनियम।

भारत गणराज्य के अड़सठवें वर्ष में राजस्थान राज्य विधान–मण्डल निम्नलिखित अधिनियम बनाता है:–

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.–** (1) इस अधिनियम का नाम राज ऋषि भर्तृहरि मत्स्य विश्वविद्यालय, अलवर (संशोधन) अधिनियम, 2017 है।

   (2) यह तुरन्त प्रवृत्त होगा।

2. **2012 के राजस्थान अधिनियम सं. 27 की धारा 11 का संशोधन.–** राज ऋषि भर्तृहरि मत्स्य विश्वविद्यालय, अलवर अधिनियम, 2012 (2012 का अधिनियम सं. 27) की विद्यमान धारा 11 के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जायेगा, अर्थात्:–

"**11. कुलपति.–** (1) कुलपति विश्वविद्यालय का पूर्णकालिक वैतनिक अधिकारी होगा।

(2) कोई भी व्यक्ति कुलपति के रूप में नियुक्त किये जाने के लिये पात्र नहीं होगा जब तक कि वह विश्वविद्यालय या महाविद्यालय में आचार्य के रूप में न्यूनतम 10 वर्ष का अनुभव रखने वाला या किसी भी प्रतिष्ठित शोध और/या शैक्षणिक प्रशासनिक संगठन में किसी समकक्ष पद पर दस वर्ष का अनुभव रखने वाला कोई प्रख्यात शिक्षाविद् नहीं है।

(3) कुलपति, निम्नलिखित सदस्यों से मिलकर बनी खोजबीन समिति द्वारा सिफारिश किये गये पैनल में सम्मिलित व्यक्तियों में से, राज्य सरकार के परामर्श से, कुलाधिपति द्वारा नियुक्त किया जायेगा–

(क) बोर्ड द्वारा नामनिर्देशित एक व्यक्ति;

(ख) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के अध्यक्ष द्वारा नामनिर्देशित एक व्यक्ति;

(ग) कुलाधिपति द्वारा नामनिर्देशित एक व्यक्ति; और

(घ) राज्य सरकार द्वारा नामनिर्देशित एक व्यक्ति, और कुलाधिपति, इनमें से किसी एक व्यक्ति को समिति का अध्यक्ष नियुक्त करेगा।

(4) विश्वविद्यालय और उसके महाविद्यालयों से असंबद्ध उच्चतर शिक्षा क्षेत्र का कोई विख्यात व्यक्ति ही खोजबीन समिति के सदस्य के रूप में नामनिर्देशित किये जाने के लिये पात्र होगा।

(5) खोजबीन समिति कुलपति के रूप में नियुक्त किये जाने के लिए कम से कम तीन व्यक्तियों का और अधिकतम पांच व्यक्तियों का एक पैनल तैयार करेगी और सिफारिश करेगी।

(6) कुलपति के चयन के प्रयोजन के लिए, खोजबीन समिति किसी लोक सूचना के माध्यम से पात्र व्यक्तियों से आवेदन आमंत्रित करेगी और कुलपति के रूप में नियुक्त किये जाने वाले व्यक्तियों के नामों पर विचार करते समय, खोजबीन समिति, शैक्षणिक उत्कृष्टता, देश में उच्चतर शिक्षा प्रणाली में प्रदर्शन, और शैक्षणिक तथा प्रशासनिक शासन में पर्याप्त अनुभव को, उचित महत्व देगी और इसके निष्कर्षों को लेखबद्ध करेगी और उन्हें कुलाधिपति को प्रस्तुत किये जाने वाले पैनल के साथ रखेगी।

(7) कुलपति की पदावधि उस तारिख से, जिसको वह अपना पद ग्रहण करता है, तीन वर्ष या सत्तर वर्ष की आयु प्राप्त कर लेने तक, इनमें से जो भी पहले हो, होगीः

परन्तु वही व्यक्ति दूसरी अवधि के लिये पुनर्नियुक्ति का पात्र होगा।

(8) कुलपति, ऐसा वेतन और भत्ते प्राप्त करेगा जो राज्य सरकार द्वारा अवधारित किये जायें। इसके अतिरिक्त, वह विश्वविद्यालय द्वारा संधारित निःशुल्क सुसज्जित निवास और ऐसी अन्य परिलब्धियों का हकदार होगा जो विहित की जायें।

(9) जब कुलपति के पद की कोई स्थाई रिक्ति उसकी मृत्यु, त्यागपत्र, हटाये जाने या उसकी पदावधि समाप्त हो जाने के कारण हो जाये तो वह रिक्ति कुलाधिपति द्वारा, उप–धारा (3) के अनुसार भरी जायेगी और जब तक वह इस प्रकार नहीं भरी जाती है तब तक उसके द्वारा, उप–धारा (10) के अधीन और कामचलाऊ व्यवस्था की जायेगी।

(10) जब कुलपति के पद की कोई अस्थायी रिक्ति छुट्टी, निलंबन के कारण या अन्यथा हो जाये, या जब उप–धारा (9) के अधीन कोई कामचलाऊ व्यवस्था आवश्यक हो तब कुल–सचिव मामले की रिपोर्ट तुरंत कुलाधिपति को करेगा जो, राज्य सरकार की सलाह से कुलपति पद के कृत्यों के, राज्य–विश्वविद्यालय के किसी भी अन्य कुलपति द्वारा, निर्वहन के लिए इंतजाम करेगा।

(11) कुलपति किसी भी समय पद का त्याग, अपना त्यागपत्र ऐसी तारिख से, जिसको वह पदभार से मुक्त होने का इच्छुक हो, कम से कम साठ दिवस पूर्व कुलाधिपति को प्रस्तुत करके, कर सकेगा।

(12) ऐसा त्यागपत्र ऐसी तारीख से प्रभावी होगा जो कुलाधिपति द्वारा अवधारित की जाये और जिसकी सूचना कुलपति को दी जाये।

(13) जहां, कुलपति के रूप में नियुक्त कोई व्यक्ति, ऐसी नियुक्ति के पूर्व किसी भी अन्य महाविद्यालय, संस्था या विश्वविद्यालय में नियोजित था, वहां वह उस भविष्य निधि में अंशदान करना जारी रख सकेगा जिसका वह ऐसे नियोजन में सदस्य था और विश्वविद्यालय उस भविष्य निधि में ऐसे व्यक्ति के लेखे में अंशदान करेगा।

(14) जहां कुलपति, उसके पूर्ववर्ती नियोजन में, किसी बीमा या पेंशन स्कीम का सदस्य रहा हो, वहां विश्वविद्यालय, ऐसी स्कीम में आवश्यक अंशदान करेगा।

(15) कुलपति, ऐसी दरों पर जो बोर्ड द्वारा नियत की जायें, यात्रा और दैनिक भत्ते का हकदार होगा।

(16) कुलपति, निम्नानुसार छुट्टी का हकदार होगाः–

(क) प्रत्येक ग्यारह दिवस की वास्तविक सेवा के लिये एक दिवस की दर से पूर्ण वेतन पर छुट्टी; और

(ख) सेवा के प्रत्येक पूर्ण वर्ष के लिये बीस दिवस की दर से अर्धवैतनिक छुट्टीः

परन्तु चिकित्सा प्रमाणपत्र प्रस्तुत करने पर अर्धवैतनिक छुट्टी को पूर्णवैतनिक छुट्टी में रूपान्तरित किया जा सकेगा।

(17) कुलपति विश्वविद्यालय का प्रधान शैक्षणिक, प्रशासनिक और कार्यपालक अधिकारी होगा और विश्वविद्यालय के कार्यकलाप का समग्र पर्यवेक्षण और नियंत्रण करेगा। उसे ऐसी समस्त शक्तियां होंगी जो इस अधिनियम और परिनियमों के उपबंधों के सही–सही अनुपालन के लिए आवश्यक हों।

(18) कुलपति को, जहां तुरन्त कार्यवाई की जानी अपेक्षित हो, ऐसा आदेश करने की शक्ति होगी जिससे ऐसी किसी भी शक्ति का प्रयोग या ऐसे किसी भी कृत्य का पालन हो जिसका प्रयोग या पालन किसी भी प्राधिकरण द्वारा इस अधिनियम या परिनियमों के अधीन किया जायेः

परन्तु ऐसी कार्यवाई की रिपोर्ट ऐसे प्राधिकरण को अनुमोदन के लिए की जायेगी जो उस विषय पर सामान्य अनुक्रम में कार्यवाही करताः

परन्तु यह और कि यदि वह कार्यवाई, जिसकी कि इस प्रकार रिपोर्ट की गयी है, बोर्ड से इतर ऐसे प्राधिकरण द्वारा अनुमोदित न की जाये तो वह विषय बोर्ड को निर्देशित किया जायेगा जिसका विनिश्चय अंतिम होगा और बोर्ड के ही ऐसा प्राधिकरण होने की दशा में वह विषय कुलाधिपति को निर्देशित किया जायेगा जिसका विनिश्चय अंतिम होगा।

(19) कुलपति, इस बात का समाधान हो जाने पर कि किसी भी प्राधिकरण द्वारा की गयी कोई भी कार्रवाई या आदेश विश्वविद्यालय के हित में नहीं है या ऐसे प्राधिकरण की शक्तियों के बाहर है, प्राधिकरण से उसकी कार्यवाई या आदेश का पुनर्विलोकन करने की अपेक्षा कर सकेगा। यदि प्राधिकरण उस तारीख से, जिसको

कि कुलपति ने ऐसी अपेक्षा की है, साठ दिवस के भीतर–भीतर अपनी कार्रवाई या आदेश का पुर्नविलोकन करने से इन्कार कर देता है या इसमें असफल रहता है तो वह विषय अंतिम विनिश्चय के लिए बोर्ड या, यथास्थिति, कुलाधिपति को निर्देशित किया जा सकेगा।''

मनोज कुमार व्यास,

प्रमुख शासन सचिव।

	राजस्थान राज–पत्र विशेषांक	RAJASTHAN GAZETTE Extraordinary
सत्यमेव जयते	साधिकार प्रकाशित	*Published by Authoriy*
	श्रावण 25,शुक्रवार, शाके 1941–अगस्त 16, 2019 *Sravana 25, Friday, Saka 1941-August 16, 2019*	

भाग 4 (क)

राजस्थान विधान मंडल के अधिनियम।

विधि (विधायी प्रारूपण) विभाग

(ग्रुप–2)

अधिसूचना

जयपुर, अगस्त 14, 2019

संख्या प.2(13) विधि/2/2019 .– राजस्थान राज्य विधान–मण्डल का निम्नांकित अधिनियम, जिसे राज्यपाल महोदया की अनुमति दिनांक 14 अगस्त, 2019 को प्राप्त हुई, एतद्द्वारा सर्वसाधारण की सूचनार्थ प्रकाशित किया जाता हैः–

विश्वविद्यालयों की विधियां (संशोधन) अधिनियम, 2019

(2019 का अधिनियम संख्यांक 17)

(राज्यपाल महोदया की अनुमति दिनांक 14 अगस्त, 2019 को प्राप्त हुई)

विश्वविद्‌यालयों की विधियों को और संशोधित करने के लिए अधिनियम।

भारत गणराज्य के सत्तरवें वर्ष में राजस्थान राज्य विधान–मण्डल निम्नलिखित अधिनियम बनाता हैः–

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ.– (1) इस अधिनियम का नाम विश्वविद्यालयों की विधियां (संशोधन) अधिनियम, 2019 है।

(2) यह तुरन्त प्रवृत्त होगा।

2. परिभाषाएं.– इस अधिनियम में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,–

(क) ''विश्वविद्यालय की विधि'' से अनुसूची में विनिर्दिष्ट विश्वविद्यालय अधिनियम अभिप्रेत है; और

(ख)''अनुसूची'' से इस अधिनियम की अनुसूची अभिप्रेत है।

3. विश्वविद्यालय की विधियों का संशोधन.– (i) अनुसूची के स्तम्भ सं. 2 में यथा उल्लिखित प्रत्येक विश्वविद्यालय की विधि के सामने स्तम्भ सं. 4 में यथा उल्लिखित धारा की विद्‌यमान उप–धारा(2) के स्थान पर, निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जायेगा, अर्थात्‌ः–

''(2) कोई भी व्यक्ति, कुलपति के रूप में नियुक्त किये जाने के लिए तब तक पात्र नहीं होगा जब तक कि वह किसी विश्वविद्यालय या महाविद्यालय में आचार्य के रूप में न्यूनतम दस वर्ष का अनुभव रखने वाला या किसी प्रतिष्ठित शोध और/या शैक्षणिक प्रशासनिक संगठन में किसी समकक्ष पद पर दस वर्ष का अनुभव रखने वाला और सक्षमता, सत्यनिष्ठा, नैतिक आचार और संस्थानिक प्रतिबद्धता के उच्चतम स्तर वाला कोई प्रख्यात शिक्षाविद् न हो।''; और

(ii) अनुसूची के स्तम्भ सं. 2 में यथा उल्लिखित प्रत्येक विश्वविद्यालय की विधि के सामने स्तम्भ सं. 4 में यथा उल्लिखित विद्यमान धारा के पश्चात्, स्तम्भ सं. 5 में यथा उल्लिखित नयी धारा अंतःस्थापित की जायेगी, अर्थात्:–

''कुलपति को हटाया जाना.– (1) इस अधिनियम में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, राज्य सरकार की रिपोर्ट पर या अन्यथा यदि किसी भी समय कुलाधिपति की राय में, कुलपति इस अधिनियम के उपबंधों का कार्यान्वयन करने में जानबूझकर लोप या इंकार करता है या उसमें निहित शक्तियों का दुरूपयोग करता है, या यदि कुलाधिपति को अन्यथा यह प्रतीत होता है कि कुलपति का पद पर बने रहना विश्वविद्यालय के हित के लिए हानिकर है तो कुलाधिपति, राज्य सरकार के परामर्श से, ऐसी जांच करने के पश्चात् जो वह उचित समझे, आदेश द्वारा, कुलपति को हटा सकेगाः

परन्तु कुलाधिपति, राज्य सरकार के परामर्श से ऐसा आदेश करने से पूर्व जांच लम्बित रहने के दौरान कुलपति को किसी भी समय निलंबित कर सकेगाः

परन्तु यह और कि कुलाधिपति द्वारा कोई भी आदेश तब तक नहीं किया जायेगा जब तक कि कुलपति को उसके विरूद्ध की जाने वाली प्रस्तावित कार्रवाई के विरूद्ध हेतुक दर्शित करने का युक्तियुक्त अवसर प्रदान नहीं कर दिया गया हो।

(2) उप–धारा (1) में निर्दिष्ट किसी भी जांच के लंबित रहने के दौरान या उसको ध्यान में रखते हुए कुलाधिपति, राज्य सरकार के परामर्श से, यह आदेश दे सकेगा कि अगले आदेश तक–

(क) ऐसा कुलपति, कुलपति के पद के कृत्यों का पालन करने से विरत रहेगा, किन्तु वह उन परिलब्धियों को प्राप्त करता रहेगा जिनका वह अन्यथा हकदार था;

(ख) कुलपति के पद के कृत्यों का पालन आदेश में विनिर्दिष्ट व्यक्ति द्वारा किया जायेगा।''

महावीर प्रसाद शर्मा,
प्रमुख शासन सचिव।